न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

पीठासीन अधिकारी– **छवि अस्थाना** (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP6341

विशेष वाद सं०– 274/2024

पंजीयन सं०– 976/2024

UPRP010074552024

राज्य ... ...**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1– फैजु पुत्र नफीस

2– फैजियाव पुत्र नफीस

3– अफजाल पुत्र तौफिक

4– अल्लू उर्फ शुऐव पुत्र चीमा उर्फ अशरफ अली

5– हारिश पुत्र नफीस

6– नफिज पुत्र बन्ने, निवासीगण मौहल्ला सेटाखेड़ा निकट जामा मस्जिद, कस्बा व थाना टाण्डा, जिला रामपुर।

... ... .अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–274/2024
धारा–147, 148, 452, 323, 504, 506
भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, 3(1)ध
व 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट
थाना टाण्डा, जिला रामपुर

अधिवक्ता अभियोजन पक्ष	**अधिवक्ता बचाव पक्ष**
श्री पुनीत कुमार, अभियोजन अधिकारी	श्री दौलत राम

निर्णय

1. अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज का विचारण अंतर्गत धारा–147, 148, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व

Digitally signed by Chhavi Asthana
Date: 2026.03.19 17:39:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा 3(1)द, 3(1)ध व 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध सं० 274/2024 में थाना टाण्डा, जिला रामपुर की ओर से पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि, रोहित सागर, निवासी ग्राम नया गांव, रामनगर लतीफपुर, थाना टाण्डा, जनपद रामपुर द्वारा थाने पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि– "वादी मुकदमा सीदा–सादा, शिक्षित, कानून को मानने वाला व्यक्ति है, उसने गांव में एक स्वीमिंग पूल खोल रखा है, जो कि निर्माणाधीन है, उसमें नहाने के लिए 01.06.2024 को रात्रि करीब 10:30 बजे कुछ लोग फैजु पुत्र नफिज, फैजियाव पुत्र नफिज, अफजाल पुत्र तौफिक, अल्लू पुत्र चिमा, हारिश पुत्र फरिद, नफिज पुत्र नामालूम एवं 4/5 अज्ञात लोग निवासीगण मौहल्ला सेटाखेड़ा, निकट जामा मस्जिद टाण्डा बादली के उसके पूल में नहाने के लिए उन्होंने कहा रात्रि के 10:30 बज रहे हैं, पूल बंद हो चुका है, 10 बजे तक ही खुलता है, तब यह लोग जबरन नहाने लगे इसी बीच इन लोगो में से एक ने चप्पल धोनी शुरू कर दी, दूसरे ने गुटका खा कर थूक दिया। उन्होंने जब इनसे मना किया तो यह सभी गंदी–गंदी गालियां व जाति सूचक शब्द बोलने लगे। वादी को देख लेने की धमकी व जान से मारने की धमकी देकर पूल से बाहर चले गए। वादी पूल के पास बने अपने कमरे में अपने पिता मेवाराम सागर व भाई विशाल सागर माता सुशीला देवी के साथ बैठ कर खाना खाने लगे। करीब 15–20 मिनट पश्चात उपरोक्त सभी मुल्जिमान कुछ अन्य लोगों को लेकर एक राय मश्वरा होकर पूल का दरवाजा खोल कर बदमाश घुस गए। इन लोगो के द्वारा बाकी बदमाश तरह के लोग फोन करके बुलाया गया। इन सभी लोगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियार ले रखे थे कि सालो चमारों तुम बहुत बनते हो, आज हम जान से मारकर किस्सा खत्म कर देते हैं, जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर हमलाभर हो गए। इस बीच इन लोगों में से एक व्यक्ति ने वादी के भाई विशाल के सर पर धारदार हाथियार से मारा और उसका सिर फट गया और पिता के साथ मारपीट कर सिर में डंडा मारा जिसकी फोटो व विडियों वादी के पास है। 112 को सूचना दी गई। वे दो दिन बाद थाने पहुंचे, कोई उनकी रिपोर्ट लिखने तैयार नहीं है। थाने के चक्कर लगा–लगाकर परेशान हो गए। यह लोग उसके पिता को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हे किसी न किसी दिन जान से मारकर रहेंगे।"

4. वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर थाना टाण्डा, जिला रामपुर में दिनांक 24–06–2024 को समय 19:49 पर फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश, नफिज एवं चार–पांच व्यक्ति अज्ञात के

विरूद्ध अपराध सं० 274/2024, धारा– 147,148,452,323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,3(1)ध व 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी और विवेचना की गयी। विवेचक ने साक्ष्य एकत्र किया, नक्शा–नजरी बनाया तथा गवाहों के बयान अंकित किये और विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज का विचारण अंतर्गत धारा– 147,148, 452,323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,3(1)ध व 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट का अपराध पाते हुए उक्त अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ मामले का संज्ञान लिया गया तथा बाल अपचारी साहिल के विरुद्ध चालानी रिपोर्ट मा० किशोर न्यायालय प्रेषित की गई।

5. अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 06–11–2024 को अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज के विरूद्ध धारा–147,148,452,323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,3(1)ध व 3(2)Va एस०सी०/एस०टी० एक्ट अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्निलिखित प्रपत्र साबित किये गये:–

क्र० सं०	**अभिलेखों का विवरण**	**प्रदर्श**	**पी०डब्लू०/ डी०डब्लू० जिसने साबित किया है।**	**साबित करने का दिनांक**
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी०डब्लू० 1	02.01.2025
2	मेवाराम की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–2	पी०डब्लू० 7	18.11.2025
3	विशाल की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–3	पी०डब्लू० 7	18.11.2025
4	सुशीला की चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–4	पी०डब्लू० 7	18.11.2025
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5	पी०डब्लू० 8	04.12.2025

6	आरोप पत्र	प्रदर्श क–6	पी०डब्लू० 8	04.12.2025

7. अभियोजन पक्ष की तरफ से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्न साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्र०सं०	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**साक्षी संख्या**
1	रोहित सागर (वादी मुकदमा)	PW–1
2	शमशुल इस्लाम	PW–2
3	विशुनाथ	PW–3
4	विशाल सागर (चुटहिल)	PW–4
5	मेवाराम (चुटहिल)	PW–5
6	सुशीला देवी	PW–6
7	डॉ० धीरज कुमार	PW–7
8	क्षेत्राधिकारी टाण्डा कीर्ति निधि आनन्द, निरीक्षक (विवेचक)	PW–8

8. **साक्षी पी०डब्लू० 1 रोहित सागर (वादी मुकदमा)** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि वह पढ़ाई के साथ–साथ बिजनेस भी करता है। उसने गांव में एक स्वामिंग पूल खोला है, जो कि घटना के समय निर्माणाधीन था। दिनांक 01.06.2024 की घटना है। रात्रि के करीब साढ़े दस बजे कुछ लोग, जिनके नाम फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू, हारिश, हफीज व तीन–चार अज्ञात लोग, जोकि मौहल्ला सेटाखेडा निकट जामा मस्जिद टाण्डा बादली के रहने वाले थे। वे लोग पूल में नहाने के लिए आये। उसने कहा कि हम पूल को दस बजे बंद कर देते हैं, अब साढे दस बज रहे हैं, पूल बंद हो चुका है। फिर वे लोग जबरदस्ती करने लगे। उसके बाद जबरन पूल में नहाने लगे और फैजु पूल में अपने चप्पल धोने लगा तथा इन्हीं लोगो में से गुटखा खाकर एक ने पूल में थूक दिया था। जब उसने उन लोगों को ऐसा करने से मना किया तो उन लोगों ने उसे गंदी–गंदी गालियां दीं और जाति सूचक शब्द चमट्टे कहकर अपमानित किया और उसे देख लेगें तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। उसके बाद वे लोग अपने स्वामिंग पूल के पास बने कमरे में खाना खाने लगे। करीब बीस पच्चीस मिनट बाद फैजु अपने साथ 20–25 लोगों को लेकर पूल का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आये। इनके पास लाठी डंडे व धारदार हथियार थे यह सब लोग कह रहे थे कि साले चमारों बहुत बनते हो, आज तुम्हे जान से मारकर तुम्हारा किस्सा खत्म कर देगें। इस

बीच फैजु ने उसके भाई विशाल के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसका सर फाड़ दिया। उसके पिता जी से मारपीट की तथा उनके सिर पर डंडा मारा था, जिनके फोटो और विडियों उन्होंने पुलिस को दिये थे। उसके साथ भी मारपीट की थी और उसकी माता भी वहां पर मौजूद थी। उनके भी हाथ पर डंडा मारा था, जिससे उनका फोन टूट गया था। पत्रावली पर संलग्न तहरीर उसके लेख एवं हस्ताक्षर में है, तस्दीक किया, **प्रदर्श क–1** डाला गया। सी०ओ० साहब ने उसका बयान लिया था तथा उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

9. **साक्षी पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि वह मेवाराम के स्कूल व स्वीमिंग पूल की देखभाल करता है और वहां पर ड्राइवरी करता है। स्वीमिंग पूल रात को दस बजे बंद करते हैं। स्वीमिंग पूल का पानी सुबह को भरते हैं और रात को पानी खाली करते हैं। पूल का पानी दो लोग बदलते हैं, उनका नाम उसे याद नहीं है और वह भी बदलता है। दिनांक 01–06–2024 को स्वीमिंग पूल पर झगड़ा रात्रि दस बजे करीब हुआ था। झगड़ा करने वालों में उपरोक्त लोग व और अन्य लोग थे। इन लोगों ने मेवाराम, विशाल, विशाल की माता जी को लाठी–डण्डों से मारापीटा था। चोट विशाली व उसकी माता के आयी थी। विशाल के खुली चोट थी। इन लोगों ने गाली गुफ्तारी की थी। यह लोग मेवाराम व उसने परिवार के लोगों को जातिसूचक शब्द चमार बगैरा कह रहे थे। बीच–बचाव उन लोगों ने कराया था। जब मुल्जिमान ज्यादा हो गये थे, तो वे पीछे हो गये थे। यह सारा झगड़ा उसने अपनी आंखों से देखा था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

10. **साक्षी पी०डब्लू० 3 विशुनाथ** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि घटना पिछले साल जून महीने में रात 10 बजे की है। स्वीमिंग पूल में 12–13 लोग नहाने आये थे, रोहित और विशाल ने कहा कि पूल बंद हो चुका है। उनमें से ही एक लड़का स्वीमिंग पूल में चप्पल धोने लगा। विशाल और रोहित ने उन्हें चप्पल धोने से मना किया, तो दोनों पक्षों में बहसबाजी होने लगी, जो लड़के नहाने आये थे। उन्हीं में से एक लड़के ने फोन करके कुछ अन्य लोगों को बुला लिया। फोन पर 20–25 लोग आ गये थे। विशाल को कमरे से खींचकर लाये ओर मारपीट करने लगे। जो लोग आये थे, उनमें से एक के हाथ में पाठल था। विशाल को बचाने के लिए उसके माता–पिता आये, तो उपरोक्त मुल्जिमानों ने जिनमें फैजु और उसके साथियों ने विशाल और उसके माता–पिता के साथ मारपीट की थी। विशाल का सिर फट गया था और उसके पापा के आंख

के पास चोट आयी थी। चमार बमार कहकर गाली बक रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा पूल बंद करा देंगे। जान से मारने की धमकी दी थी। वह डर गया था। उसने बीच–बचाव नहीं कराया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

11. **साक्षी पी०डब्लू० 4 विशाल सागर** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 01.06.2024 को रात्रि दस–ग्यारह बजे के बीच की बात है। स्वीमिंग पूल पर फैजु, फैजियाव, अफजाल, हारिश और उनके साथ सात–आठ अन्य लोग स्वीमिंग पूल पर नहाने आए थे। फैजियाव ने स्वीमिंग पूल में चप्पल धोई, तो उसके छोटे भाई ने मना किया, तो इन लोगों ने गाली–गलौच करना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि तुम्हारा तो काम है, तुम तो चमार हो, तुम तो साफ कर ही लोगे। फैजु ने गुटका खाकर पूल में थूका था। शोर–शराबे पर उसके पास पापा पास के रूम में सो रहे थे, उन्होंने आकर बीच–बचाव कराया था। सब शांत हो गया था, लेकिन फैजु ने अपने पापा को फोन करके बुला लिया था कि हमारा झगड़ा हो गया है, 10–15 लोगों को लेकर आ जाओ। उस वक्त ये लोग चले गए थे, लेकिन उसके 15–20 मिनट बाद 15–20 लोग आ गए थे। इन सब लोगों ने आकर गाली–गलौच की और कहा कि गेट खोलो। इन लोगों ने उसे व उसके पिता जी मेवाराम व छोटे भाई को भी मारा था, उसके बाद उसकी मम्मी आई, तो उनके साथ भी मारपीट की थी। इनके हाथों में डण्डे, रॉड व पाठल थे। यह लोग मारपीट के दौरान उन्हें चमार बगैहरा बोल रहे थे। मारपीट के समय उन्हें उनके पूल पर काम करने वाले चौकीदार आदि लोगों ने बचाया था। वे उस वक्त थाने नहीं गए थे। इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल में गए थे। यह मुकदमा उसके छोटे भाई रोहित सागर ने थाने पर लिखाया था। सी०ओ० साहब ने उससे पूछताछ की थी एवं उसका बयान भी लिया था। पुलिस ने उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

12. **साक्षी पी०डब्लू० 5 मेवाराम** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि उसने अपने खेत में स्वमिंग पूल खोल रखा है। घटना के समय स्वमिंग पूल लगभग बन ही गया था, कुछ कार्य रह गया था। घटना दिनांक 01.06.2024 की रात साढे दस बजे फैजु, फैजियाव, हारिश, अल्लू, इनके पापा थे तथा दो तीन लोग अज्ञात थे। एक मास्टर थे, एक फरीद का लडका फैज था। हारिश व फैजु स्वमिंग पूल में चप्पल धो रहे थे व थूक रहे थे। इन्ही में से किसी व्यक्ति ने थूका था। उसके लडके रोहित ने जब इन लोगों को ऐसा करने से रोका तो इन लोगों में गाली–गलौच हो गयी और जाति सूचक शब्द

'अमार–चमार' कहा। कहने लगे कि हमने पैसे दिये है, हम तो थूकेगें भी, मूतेगें भी। जब यह घटना हो रही थी, उस समय वह अपने कमरे में लेटा था। शोर सुनकर वह अपने कमरे से बाहर आया, तो उसने देखा कि फैजु ने फोन करके अपने पापा व आठ–दस लोगों को बुला लिया। इन लोगों ने आकर हमारे पूल का गेट बजाना शुरू कर दिया। वे अंदर ही कमरे में खाना खा रहे थे। गेट खुला हुआ था, यह लोग अंदर घुस आये और गाली–गलौच की तथा उसकी पत्नी सुशीला देवी के साथ गाली–गलौच व मारपीट करने लगे और उसके लडके रोहित व विशाल के साथ मारपीट की। विशाल के सिर में धारदार हथियार पाठल से बार किया और विशाल के कान पर भी चोट आयी थी। 10–12 टाकें आये थे। उसके सिर पर भी चोट आयी थी। रात का समय होने पर मारने वाले को देख नहीं पाया था। उसकी पत्नी के हाथ में डंडे मारे थे, उनका हाथ सूज गया था। इस घटना की ऑडियो वीडियों भी उसके पास है, उसने विवेचक को दी थी जो पत्रावली पर संलग्न है। उनके शोर मचाने पर आस–पास के लोग आ गये थे, जिनमें उसका ड्राईवर शमशुल, चौकीदार आदि व्यक्तियों ने उसे मुल्जिमानो से बचाया था। घटना की रिपोर्ट कराने वह उसी दिन गया था, लेकिन थाने वालों ने उसकी एफ.आई.आर नहीं लिखी थी। घटना के 24 दिन बाद एफ०आई०आर० हुयी थी। पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था। मुल्जिमान उन्हें धमकी दे रहे थे कि तुम्हारा स्वमिंग पूल बंद करा देगें। लोगो से हम पर फैसला करने के लिए दवाब बनाया जा रहा है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

13. **साक्षी पी०डब्लू० 6 सुशीला देवी** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि वह आज न्यायालय में सम्मन सूचना पर गवाही देने आयी है। दिनांक 01.06.2024 को रात्रि साढे दस बजे स्वमिंग पूल में चप्पल धोने के लेकर उसके बेटे विशाल और रोहित से कुछ लोगों का झगडा हो गया था। एक डेढ घंटे बाद दस से पंद्रह लोग फिर से उनके स्वमिंग पूल पर आये थे। उस समय वह स्वमिंग पूल के पास ही बने कमरे में अपने बेटे विशाल व रोहित व पति को खाना परोस रही थी। इन सभी लोगों ने उनके साथ गाली–गलौच की। रोहित और विशाल को कमरे से खींच लाए और उसके लडको के साथ गाली–गलौच और मारपीट शुरू कर दी, उसकी समझ में कुछ नही आया। इन लोगों के पास धारदार हथियार व लाठी डंडे थे, जिससे इन लोगों ने उसके पति तथा उसके लडके विशाल व रोहित के साथ मारपीट कर घायल किया था। उसने बीच बचाव कराने की कोशिश की तो, इन लोगों ने उसके साथ भी मारपीट कर उसके हाथ में भी डंडा मारा था, जिसका मेडिकल पुलिस ने सरकारी अस्पताल में कराया था।

उनके स्वमिंग पूल पर काम करने वाले मजदूर व अन्य लोगों ने उन्हें मुल्जिमानो से बचाया था। उपरोक्त मुल्जिमान उनका स्वमिंग पूल बंद कराने व जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये थे। हमलावरों में अल्लू, हारिश, फैजु, तौफीक, नफिज, और लोगों के नाम मुझे इस समय याद नहीं है, 10–15 लोग थे। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे बातचीत की थी। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

14. **साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉ धीरज कुमार** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 25.06.2024 को उसकी ड्यूटी इमरजेंसी ऑफिसर सीएचसी टाण्डा पर थी। उसी दिनांक को होम गार्ड 1277 विनोद मजरूब मेवाराम आयु 50 वर्ष पुत्र रूपचंद निवासी नया गांव लतीफपुर थाना टाण्डा को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके पास लेकर लेकर आए थे। जिसकी पहचान एक काला तिल दाँये कान से 6cm नीचे गर्दन के दाये तरफ मौजूद था। चुटैल ने बताया था कि दिनांक 01.06.2024 की रात को उसको चोटें आई थी, जिसका इलाज उसने प्राइवेट डॉक्टर से लिया था। उसके द्वारा परीक्षण किये जाने पर उस समय पीड़ित के बताए गए उपरोक्त समय अनुसार कि कोई भी चोट का निशान नहीं पाया गया। चिकित्सीय परीक्षण आख्या पर चुटैल मेवाराम के बांये हाथ के अंगूठे निशानी हैं। चिकित्सीय परीक्षण आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। उसी दिनांक को मजरूब विशाल सागर आयु 24 वर्ष पुत्र मेवाराम निवासी नया गांव लतीफपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर समय 04:05 PM पर होम गार्ड द्वारा चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया एवं उसने बताया कि दिनांक 01.06.2024 की रात्रि उस पर हमला हुआ था। जिसमें उसको चोटें आई जिसमें उसने अपना इलाज प्राइवेट डॉक्टर से कराया था। मजरूब को निम्न चोटें पायी गई हैं। चोट संख्या–1, एक पुराना चोट भर चुकी चोट का निशान भूरे रंग का चमकता हुआ 3.5 cm लंबा पतला समतल समांतर चलता हुआ, बांए कान से 12cm ऊपर सिर के बांए तरफ मौजूद था। निशान के कोने अस्पष्ट थे व किसी प्रकार का कोई दर्द मौजूद नहीं था। चोट संख्या–2 एक पुराना चोट भर चुकी चोट का निशान भूरे रंग का चमकता हुआ 2cm X 0.5cm ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ, बांए कान से 2cm आगे चहरे के बांए तरफ मौजूद था, कोई दर्द नहीं था। ऊपर से समतल व जिसके कोने टेढ़े–मेढ़े थे। गवाह की राय में इन चोटों के बारे में कारण व इनका समय नहीं बताया था। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में मजरूब के बांए हाथ के अंगूठा निशानी है। आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर, जिसे तस्दीक करता है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मजरूब सुशीला आयु 45 वर्ष

पत्नी मेवाराम निवासी नया गांव लतीफपुर थाना टाण्डा रामपुर को भी होम गार्ड 1277 विनोद दिनांक 26.06.2024 को चिकित्सीय परीक्षण हेतु उसके पास लेकर आए थे। मजरूब ने बताया था कि दिनांक 01.06.2024 की रात्रि उस पर हमला हुआ था। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में मजरूब के दांए हाथ का अंगूठा निशानी है, चिकित्सीय परीक्षण आख्या उसके लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक किया, जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

15. **साक्षी पी०डब्लू० 8 क्षेत्राधिकारी टाण्डा कीर्ति निधि आनन्द, निरीक्षक** ने अपने साक्ष्य में सशपथ बयान किया है कि दिनांक 25.06.2024 को वह क्षेत्राधिकारी टाण्डा के पद पर नियुक्त था। उसी दिनांक को उसके द्वारा उपरोक्त मुकदमे की विवेचना ग्रहण कर सीडी का पर्चा सं० 1, किता किया गया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ०आई०आर लेखक हेड कां० 785 जितेन्द्र सिंह व बयान वादी रोहित सागर के बयान अंकित किये तथा वादी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया था। नक्शा नजरी पत्रावली पर संलग्न है, जो उसके द्वारा तैयार किया गया है, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक किया, इस पर **प्रदर्श क 5**, डाला गया। दिनांक 27.06.2024 को सीडी का पर्चा सं० 2, किता किया जिसमें अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट श्रीमती सुशीला, विशाल सागर व मेवाराम का विवरण केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 30.06.2024 को सीडी का पर्चा सं०–3, किता किया, जिसमें बयान मजरूब मेवाराम, विशाल सागर व श्रीमती सुशीला देवी के कथन अंकित किये। दिनांक 05.07.2024 को सीडी का पर्चा सं० 4, किता किया जिसमें कि नामित अभियुक्तगण के मस्कन पर दविश दी गयी, दस्तियाव नहीं हुए। अभियुक्त हारिस पुत्र फरीद के घर पहुंचने पर पता चला कि फरीद दूसरे गांव में काजीपुरा में रहता है, जबकि फरीद के बारे में पता किया तो उसने बताया कि मेरे पुत्र का नाम आरिश है, जबकि हारिस के पिता का नाम नफीस है और वह इस अभियोग में मुल्जिम है। दिनांक 09.07.2024 को सीडी का पर्चा सं० 5 किता किया, जिसमें बयान चश्मदीद शमशुल का कथन अंकित किया तथा उसने शाहिल पुत्र मुस्तफा का नाम भी उक्त घटना में शामिल होना बताया है तथा उसने अपने बयानों में बताया कि फैजु पुत्र नफीस , फैजियाव पुत्र नफीस, अफजाल पुत्र तौफीक, अल्लू उर्फ शुऐव पुत्र चिमा उर्फ अशरफ अली, हारिस पुत्र नफीस, नफीस पुत्र बन्ने, शाहिल पुत्र मुस्तफा ने उक्त घटना को कारित किया था। तत्पश्चात बयान गवाह कृष्णपाल, ओमप्रकाश, विश्वनाथ के कथन अंकित किये। दिनांक 14.07.2024 को सीडी का पर्चा सं० 6 किता किया, जिसमें फरीद पुत्र

नूर मौहम्मद ने बताया कि उसके लडके का नाम आरिश है और घटना वाले दिन उसका लडका घर पर ही था। इसके बाद वह वादी मुकदमा रोहित सागर के स्वमिंग पूल पर गया, तो उसने बताया कि हारिश के पिता का नाम नफीस है। तत्पश्चात उक्त त्रुटि को दुरस्त किया उसके बाद डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर डी०के० निम्म के कथन अंकित किये। दिनांक 18.07.2024 को सीडी का पर्चा सं० 7, किता किया, जिसमें अभियुक्त फैजु, फैजियाव, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश पुत्र नफीस, नफीस पुत्र बन्ने, अफजाल व बाल अपचारी शाहिल, के कथन अंकित किये। दिनांक 22.07.2024 को सीडी का पर्चा सं० 8 किता किया, जिसमें बाल अपचारी शाहिल के विरूद्ध चालान माननीय किशोर न्यायालय में प्रेषित किया। बयान कम्प्यूटर ऑपरेटर सुमित कुमार तथा वादी रोहित सागर का जाति प्रमाण पत्र का अवलोकन कर संलग्न सीडी किया। शेष अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश, नफिज के विरूद्ध जुर्म धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा 3 (1) द, 3 (1) ध, 3 (2) Va, एस०सी०/एस०टी० एक्ट द्वारा आरोप पत्र सं० 288/2024 दिनांक 22–07–2024 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, तस्दीक किया, इस पर **प्रदर्श क 6**, डाला गया। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का उल्लेख, विश्लेषण में यथास्थान किया जाएगा।

16. अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ। अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुए कथन किया है कि साक्षी पी०डब्लू०–1 रोहित सागर ने फैजु, फैजियाव, अफजाल के मजदूरी के एक लाख, पैंतीस हजार रूपए हड़प करने के उद्देश्य से झूठा साक्ष्य दिया है और कहा कि वादी रोहित सागर की मां के नाम सुशीला देवी इंटर कॉलेज के बच्चे को लाने–ले जाने के लिए कॉलेज वेन का ड्राइवर है, जो कि वादी का नौकर है तथा वादी के दवाब में झूठा साक्ष्य दिया है। पी०डब्लू०–3 वादी के ही इंटर कॉलेज का चौकीदार अर्थात् उसी का नौकर होने के कारण उसके दबाव में झूठी गवाही दे रहा है। पी०डब्लू०–4 विशाल सागर, वादी रोहित सागर का सगा भाई है तथा पी०डब्लू०–5 मेवाराम, वादी रोहित सागर का पिता है, पी०डब्लू०–6 सुशीला देवी, वादी की मां है, जो कि हितबद्ध साक्षी हैं एवं सभी ने झूठा साक्ष्य दिया है। पी०डब्लू० 7 डॉ० धीरज कुमार द्वारा पुलिस के दबाव में बिना चोट के मेडिकल की लिखा–पढ़ी की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया है कि विवेचक द्वारा बिना मौके पर जाए, झूठा नक्शा–नजरी एवं आरोप पत्र तैयार किया गया है तथा वे निर्दोष हैं। अभियुक्तगण की ओर से

बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

17. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

18. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के ऊपर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। तदनुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने एवं दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

19. बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए यह तर्क दिया गया कि अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 01–06–2024 को स्वीमिंग पूल की बतायी जा रही है, जबकि वादी पक्ष द्वारा कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24–06–2024 को दर्ज करायी गयी है, जिसमें लगभग 24 दिन का विलम्ब है। 24 दिन के इस अत्यधिक विलम्ब के संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाने के उद्देश्य से उक्त दिनांक की झूठी घटना दर्शाते हुए यह मुकदमा दर्ज कराया गया है और इसी कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में यह विलंब हुआ है। साक्षी पी०डब्लू० 3 विशुनाथ, जो कि स्वतंत्र साक्षी है तथा वादी पक्ष का नौकर–मुलाजिम भी, ने अपनी प्रतिपरीक्षा स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण को न पहचानना कहा है। उसने यह भी कहा है कि चप्पल धोने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं बता सकता, न ही पूल में थूकने वाले व्यक्ति का नाम वह बता सका है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि घटना के समय लाइट भाग गयी थी, अंधेरा होने के कारण किसी का चेहरा नहीं पहचान पाया था। उसने फैजु का सिर्फ नाम सुना था, फैजु को देखा नहीं है। इस साक्षी के उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि घटना के समय घटनास्थल पर घोर अंधेरा था, इसलिए वादी पक्ष के साथ किसके द्वारा घटना कारित की गयी, यह तथ्य संदेहात्मक है। विशाल सागर व मेवाराम के चोटें भी घटनास्थल पर घटना के समय नहीं आयी हैं, बल्कि उनके टेंट हाउस के सामान को ट्रॉली से उतारते से लोहे का पाइप फिसलकर लगने के कारण उनके चोटें आयी हैं, इसी कारण उनके द्वारा कथित घटना की दिनांक पर ही प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं करायी गयी है। यह तर्क भी दिया गया है कि अभियुक्तगण के वादी पक्ष पर उनके निर्माणाधीन स्वीमिंग पूल में चार महीने की गयी मजदूरी के मु० 1,35,000/– रूपये बकाया हों और उन्हें हड़पने के लिए वादी पक्ष

द्वारा कथित झूठी व फर्जी घटना दर्शायी है। साक्षीगण पी०डब्लू० 2 व 3 की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है, क्योंकि साक्षी पी०डब्लू० 2 द्वारा कथन किया गया है कि वह 07:00 बजे से 03:00 बजे तक मेवाराम की नौकरी करता है, बाकी समय अपना व अपने परिवार का काम करता है। अभियोजन साक्षीगण के मौखिक साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक संदेहास्पद बनाता है। उपरोक्त को आधार बनाते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अभियोजन के साक्षीगण द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास है। फलतः अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करते हुए दोषमुक्त किये जाने के अधिकारी हैं।

विश्लेषण, विचारण एवं निष्कर्ष

20. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय को पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के संदर्भ में मुख्य रूप से जिन विचारणीय बिन्दुओं पर विचारण, साक्ष्य के विश्लेषण द्वारा करना, वे यह हैं कि–

1. क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण की आरोपित धाराओं में दोषसिद्धि की जा सकती है?

2. क्या अभियोजन अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तगण पर लगाये हुए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है?

21. उपरोक्त दोनों ही विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में समान साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना है। अतएव दोनों ही विचारणीय बिन्दुओं का न्यायालय एक साथ विचारण कर रहा है।

22. प्रस्तुत प्रकरण में अत्यधिक बल बचाव पक्ष द्वारा वादी मुकदमा द्वारा 24 दिन के विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के बिन्दु पर दिया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मूल रूप से है। जिसमें घटना की दिनांक 01–06–2024 रात्रि 10:30 बजे का अंकित है और सूचना प्राप्त होने की दिनांक 24–06–2024 का समय 19:49 बजे है अर्थात् 23 दिन के विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवायी गयी है। अभियोजन के साक्षी रोहित सागर के साक्ष्य में यह आया है कि घटना के 24 दिन बाद उसने सी०ओ० को एक तहरीर दी थी और यह भी आया है कि दिनांक 01–06–2024 को 112 नंबर पर फोन करने पर पुलिस आयी थी और समस्या का समाधान किये बिना चली गयी थी। यह भी आया है कि दिनांक 01–06–2024 या 02–06–2024 को वादी ने इस संबंध में थाना टाण्डा पर कोई तहरीर नहीं दी थी, न

ही एस०पी०/डी०आई०जी० को कोई प्रार्थना पत्र दिया था। इसी प्रकार से पी०डब्लू० 3 विशुनाथ के साक्ष्य में मात्र यह आया है कि, रोहित सागर ने जब यह मुकदमा लिखाया था, तो मुझे यह बताया था कि 'मैंने मुकदमा लिखा दिया है।' समय और दिन का इस साक्षी को पता नहीं है। पी०डब्लू० 3 विशुनाथ के साक्ष्य में यह भी आया है कि फैजु, फैजियाब, अफजाल व मेवाराम के बीच कई दिन पंचायत चलने की बात उसे पता है। पंचायत स्वीमिंग पूल के विषय में हुई थी, वह पंचायत के बगल में रहता है। साक्षी पी०डब्लू० 4 विशाल सागर के साक्ष्य में आया है कि जब वो प्रथम सूचना रिपोर्ट कराने गये थे, इलेक्शन चल रहे थे, एफ०आई०आर० कर भी नहीं रहे थे। प्रार्थना पत्र पोर्टल पर डाला था। पोर्टल पर डालने की रसीद दी थी या नहीं, यह उसे याद नहीं है। पी०डब्लू० 5 मेवाराम के साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखाये जाने के बिन्दु पर यह आया है कि, 'जब 112 नंबर की पुलिस आयी थी, तब तक हमें चोटें लग चुकी थीं। 112 की पुलिस ने हमारा डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया था। कहा था कि सुबह थाने आ जाना। थाने की पुलिस ने हमारी चोटों क मुआयना नहीं कराया था। पुलिस की दोनों गाड़ियां खड़ी थीं। उन्होंने कहा था कि पूल के कागज लेकर थाने आ जाओ। हमने उस समय पुलिस को घटना के संबंध में कोई तहरीर नहीं दी थी। दूसरे दिन हम थाने पर तहरीर लेकर गये थे, लेकिन किसी ने ली नहीं। उसके अगले दिन फिर गये, लेकिन कह दिया कि पुलिस इलेक्शन में चली गयी। फिर परसों आने को कह दिया।' पी०डब्लू० 5 मेवाराम के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है कि मुल्जिमान व हमारे बीच में पंचायत हुई थी। यह लोग फैसले का दबाव बना रहे थे।

23. बहस में विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखवाने के संबंध में न्यायालय के सम्मुख यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य घटना के संबंध में कई बार पंचायत हुई थी। बातचीत हो रही थी तथा वादी पक्ष व्यापारी वर्ग का है। इस कारण बातचीत से हल निकालने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था, वो पुलिस, कोर्ट–कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे थे। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय को, यह भी स्मरण करवाया गया कि पहली जून, 2024 को कई स्थानों पर लोकसभा के आम चुनाव की तिथि थी, जिसके पश्चात पुलिस की ड्यूटी मतगणना में भी लगी रही और जून, 2024 के माह में पुलिस मतदान के काफी दिनों बाद अपना रूटीन वाला सामान्य (Normal) कार्य पुनः सुचारू रूप से आरंभ कर पायी थी। विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि, वादी पक्ष एक–दो बार तहरीर लेकर थाने गया था, परन्तु रिपोर्ट नहीं हुई और बाद में

मुल्जिमान द्वारा जब उनको धमकी दी जाने लगी और सुलह का दबाव बनाया जाने लगा, तो उनके लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस तथ्य पर आपत्ति नहीं की गयी है कि जून, 2024 में आम लोकसभा चुनाव न रहा हो अथवा मतगणना न हुई हो अथवा पुलिस की उसमें व्यस्तता न रही हो। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता बचाव पक्ष द्वारा एक तर्क जो प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखवाये जाने का यह दिया जा रहा है कि, मुल्जिमान का मजदूरी का मु० 1,35,000/–रूपये वादी पक्ष पर बकाया था, इसलिए उन्होंने समय से एफ०आई०आर० नहीं लिखवायी। इस तथ्य के संबंध में आगे विश्लेषण किया जाएगा।

24. प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लिखवाए जाने के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **शीलकराम बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2007 पेज 2739** एवं **सी०बी०आई० बनाम सकरूम हागू बिन जेवर ए०आई०आर० 2019 पेज 3550 (3 जजेज बेंच)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, विलंब से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने पर अभियोजन के मामले में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है, जब विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **जफरूद्दीन बनाम केरल राज्य ए०आई०आर० 2022 एस०सी० पेज 3627** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत कराया जाना अभियोजन कथानक को Reject करने का आधार नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रामादेवी बनाम बिहार राज्य ए०आई०आर० 2024 एस०सी० 5148 (3 जजेज बेंच)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकृत पर सवाल न उठाया गया हो तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को वादी मुकदमा ने साबित किया हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत किये जाने व भेजे जाने को स्पष्टीकृत किया गया हो तथा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य हो, वहां प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से पंजीकृत किया जाना अभियोजन कथानक पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **गंगा भवानी बनाम रामापति वेंकट रेड्डी व अन्य 2013 CRLJ 4618** में यद्यपि उपरोक्त प्रकरण मृत्यु से संबंधित था। जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज किये जाने का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण दिया गया था। वहां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 06 माह देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने को अभियोजन के लिए घातक नहीं माना। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया कि, अभियोजन के मामले को मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज किये जाने के आधार पर नामंजूर नहीं किया

जा सकता। न्यायालय को विलंब का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण की जांच करनी होगी तथा अभियोजन विलंब को स्पष्ट करता है, तो उसे केवल इस आधार पर अभियोजन को नामंजूर नहीं कर देना चाहिए, भले ही कुछ अस्पष्टीकृत विलंब हुआ हो तथा न्यायालय को इस बारे में विचार करना होगा कि क्या उसे असामान्य बताया जा सकता है। एफ०आई०आर० 24 दिन विलंब से लिखवाए जाने के बिन्दु पर उपर किए गए विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि, प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा विलंब हेतु दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण न तो असामान्य है, न ही अविश्वसनीय।

25. प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 01–06–2024 को घटित हुई थी, जबकि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24–06–2024 को सायं 19:49 पर लिखवायी गयी है। लगभग 24 के दिन के विलंब के इस तथ्य के संबंध में ऊपर विस्तृत विश्लेषण किया जा चुका है, जिसके प्रकाश में न्यायालय के लिए आवश्यक है कि यह न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 दिन के विलंब से लिखवाये जाने के तथ्य को संपूर्ण प्रकरण के साक्ष्यों का समुचित आकलन एवं प्रकरण का विचारण तथा विश्लेषण करते समय निरंतर अत्यधिक सावधान (On guard) रहे।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट रोहित सागर (वादी मुकदमा) द्वारा लिखवायी गयी है, जो 21 वर्ष का है और पी०डब्लू० 1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ है। अपने सशपथ बयान में इस साक्षी ने यह बतलाया है कि, रात्रि के 10:30 बजे फैजु, फैजियाब, अफजाल, अल्लू, हारिश, हफीज एवं 3–4 अज्ञात लोग, जो मौहल्ला सेंटाखेड़ा निकट जामा मस्जिद, टाण्डा बादली के रहने वाले थे, स्वीमिंग पूल में नहाने के लिए आये, तो साक्षी पी०डब्लू० 1/वादी मुकदमा द्वारा उनसे कहा गया कि, पूल 10:00 बजे बंद कर देते हैं, अब 10:30 बज रहे हैं, तो वो लोग जबरदस्ती करने लगे और जबरन पूल में नहाने लगे। फैजु पूल में अपने चप्पल धोने लगा और अभियुक्त में से एक ने गुटखा खाकर पूल में थूक दिया। मना करने पर गंदी–गंदी गालियां दीं और जातिसूचक शब्द चमट्टे कहकर अपमानित किया गया और देख लेने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। पी०डब्लू० 1 रोहित सागर का कहना है कि, इसी के 20–25 मिनट बाद जब वह अपने परिवार के साथ पूल के पास बने कमरे में खाना खा रहा था, तो फैजु 20–25 लोगों को लेकर पूल का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया। इन लोगों के पास लाठी–डण्डे एवं धारदार हथियार थे और यह लोग कह रहे थे कि सालो चमारों बहुत बनते हो, आज तुम्हे जान से मारकर, तुम्हारा किस्सा खत्म कर

देंगे और इसी बीच फैजु ने, उसके भाई विशाल सागर के धारदार हथियार से सिर पर वार किया, जिससे उसका सिर फट गया। उसके पिता जी के साथ मारपीट की, उनके सिर पर डण्डा मारा तथा उसके स्वयं के साथ भी मारपीट की गयी और उनकी माता के हाथ पर डंडा मारा, जिससे उनका फोन टूट गया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी (पी०डब्लू० 1) से बचाव पक्ष द्वारा घर से थाना टाण्डा की दूरी, घर से इंटर कालेज की दूरी, स्वीमिंग पूल की दूरी, थाने से सी०ओ० साहब के ऑफिस की दूरी, घर से सी०ओ० के ऑफिस की दूरी, स्वीमिंग पूल की परमिशन इत्यादि के संबंध में लंबे चौड़े प्रश्न किये गये। उसके पिता की लाइसेंसी बंदूक के संबंध में भी प्रश्न किये गये हैं, जिनसे कोई विशेष तथ्य न्यायालय के सम्मुख नहीं आता। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण का अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर रहना, साक्षी पी०डब्लू० 1/वादी मुकदमा रोहित सागर ने बताया है और यह कहा है कि नामजद अभियुक्तगण दैनिक मजदूर हैं, इसकी जानकारी उसे नहीं है। स्वीमिंग पूल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उस दिन की घटना रिकॉर्ड नहीं होना अधिकांश मौखिक साक्षियों के साक्ष्य में आया है, इस साक्षी के साक्ष्य में भी। जिसका कारण यह बतलाया गया है कि, घटना के समय लाइट नहीं आ रही थी और सोलर पैनल से सीसीटीवी नहीं चलते हैं, जेनरेटर नहीं चल रहा था। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि मौखिक साक्षी पी०डब्लू० 4 विशाल सागर के साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि, स्वीमिंग पूल और उनके इंटर कालेज के मध्य लगभग 50 मीटर का फासला है और वादी मुकदमा के पिता मेवाराम, जो प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 5 के रूप में परीक्षित हुए हैं, उन्होंने अपने बयान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि, घटना के समय इंटर कालेज की सोलर पैनल की लाइट जल रही थी, उसक उजाला आ रहा था। बाकी घटना के समय घटनास्थल पर काफी अंधेरा था, यह तथ्य भी पी०डब्लू० 1 रोहित सागर समेत सभी साक्षियों के साक्ष्य में आया है। पी०डब्लू० 1 रोहित सागर तथा घटनास्थल के शेष साक्षी के मौखिक साक्ष्यों में घटना का समय लगभग 10:30 से 11:00 बजे का आया है। पी०डब्लू० 1 रोहित सागर का कहना है कि रात के करीब 11:00 बजे उसके माता–पिता, भाई विशाल सागर और वह स्वयं खाना खा रहे थे। उनके अलावा कुछ और लोग भी थी, जिनमें से एक ड्राइवर, एक स्वीमिंग पूल का गार्ड, एक स्कूल का गार्ड एवं एक मजदूर था। मजदूर 3–4 महीने से पूल पर कार्य कर रहे थे। ड्राइवर का नाम किशनपाल, स्कूल के गार्ड का नाम विश्वनाथ और पूल के गार्ड का नाम शमशुल बतलाया है। साक्षी (पी०डब्लू० 1) ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तथा सी०ओ० को दिये गये बयान में फैजु चप्पल धो रहा था, न

कहकर यह कहा था कि एक आदमी ने धोईं, यह कहा था। पी०डब्लू० 1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मुल्जिमान पहली बार आये थे, तो पूल में चप्पल धोकर, गुटखा थूककर, जान से मारने की धमकी देकर चले गये थे। सभी लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस को सूचना उन्होंने नहीं दी थी। पहली बार लौटने के 20–25 मिनट उपरांत यह लोग दोबारा 20–25 की संख्या में आए थे। आते हुए नहीं देखा था। जब 20–25 कदम की दूरी पर रह गये थे, तब देखा था। साक्षी पी०डब्लू० 1 रोहित सागर का कहना है कि, वह लोग समझ गये थे कि यह वही लोग हैं। पुलिस को फोन नहीं करना साक्षी (पी०डब्लू० 1) ने स्पष्ट रूप से कहा है। 2–3 व्यक्तियों को देखा था, वह बता रहा है। फैजु के हाथ में डंडा और फैजु के भाई के पास लोहे का कोई हथियार था। बाकी लोगों के पास डण्डे थे। फैजु के भाई फैजियाब के हाथ में लोहे का हथियार था, क्या था? अंधेरे में ठीक से नहीं दिखा। माता–पिता, नौकरों, किसी ने भी पुलिस को नहीं बुलाया था, न फोन किया था। 01–02/06/2024 किसी भी दिन डॉक्टरी मुआयना नहीं कराना कहा है और यह कहा है कि दिनांक 05–06–2024 तक वह प्राइवेट अस्पताल में दिखा रहे थे। इसके पर्चे पत्रावली पर दाखिल किये गये हैं या नहीं, इस साक्षी को नहीं पता है। जबकि साक्षी पी०डब्लू० 4 विशाल सागर द्वारा भी अपने साक्ष्य में प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाना कहा गया है और यह भी कहा है कि बाद में पुलिस द्वारा भी डॉक्टरी मुआयना करवाया गया था।

26. पी०डब्लू० 2 मौके का ही दूसरा साक्षी शमशुल इस्लाम है, जिसके संबंध में पी०डब्लू० 1 ने अपने साक्ष्य में यह कहा है कि, वो पूल का गार्ड है और शमशुल इस्लाम द्वारा स्वयं भी अपने सशपथ साक्ष्य में पी०डब्लू० 2 के रूप में यह कहा गया है कि वह मेवाराम के स्कूल व पूल की देखभाल करता है और वहां ड्राइवरी करता है। स्वीमिंग पूल रात को खाली करते हैं और सुबह को भरते हैं। दो लोग पानी बदलते हैं, जिनके नाम उसे याद नहीं है और पानी वह स्वयं भी बदलता है। दिनांक 01–06–2024 को स्वीमिंग पूल पर झगड़ा रात्रि 10:00 बजे के करीब होना और झगड़ा करने वालों में फैजु, फैजियाब और 10–12 लोगों का होना, मेवाराम, विशाल व उसकी माता जी को लाठी–डण्डों से मारना–पीटना, विशाल के खुली चोट आना, मुल्जिमान का गाली–गलौच करना, मेवाराम व उसके परिवार के लोगों को जातिसूचक शब्द चमार कहना और सारा झगड़ा अपनी आंखों से देखना इस साक्षी ने कहा है। बीच–बचाव भी कराया था। मुल्जिमान ज्यादा हो गये थे, तो वो पीछे हट गये थे। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी (पी०डब्लू० 2) द्वारा स्वयं को अनपढ़ और इंटर कालेज के बच्चों को लाने और घर ले

जाने के लिए मारूति वैन का ड्राइवर होना बतलाया है। इंटर कालेज मेवाराम जी का होना तथा बच्चों को लाने–ले जाने के संबंध में सभी प्रश्नों का उत्तर इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया गया है। 03:00 बजे के बाद घर जाकर अपने घर का कामकाज और बच्चों की देखरेख करता है। सुबह 07:00 बजे उठता है, रात को 10:00 बजे तक सो जाता है। इन तथ्यों के हवाले से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि यह साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर था ही नहीं और यह मेवाराम जी की नौकरी करता है। अतएव हितबद्ध साक्षी है। जबकि इस साक्षी (पी०डब्लू० 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में ही यह तथ्य स्पष्ट किया है कि स्वीमिंग पूल की साफ –सफाई एवं देखरेख के लिए मेवाराम जी ने नौकर रखे हैं। उसने उन नौकरों को स्वीमिंग पूल से पानी खाली करते हुए देखा है। स्वीमिंग पूल एक घण्टे में पूरा खाली हो जाता है। एक सुझाव के उत्तर में उसने कहा है कि, वह आज इस मुकदमे में रोहित सागर पुत्र मेवाराम के साथ बयान देने आया है, परन्तु उसके कहने से बयान नहीं दे रहा है, जो उसने देखा है, वही बता रहा है। उसने इस सुझाव को भी सही बताया है कि वह मेवाराम जी के यहां नौकरी करता है, परन्तु इस सुझाव को पूर्णतः गलत बताया है कि, वह आज मेवाराम जी के कहने पर झूठी गवाही दे रहा है। इस सुझाव को भी उसने गलत बताया है कि वह घटना वाले दिन वह स्वीमिंग पूल का पानी खाली करने न गया हो। **साक्षी पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि, 'जून के महीने में हमारी ड्यूटी पूल पर ही रहती है, इसलिए हम वहीं पर रहते हैं।**' उपरोक्त तथ्यों से घटना के दिन व घटना के समय साक्षी पी०डब्लू० 2 शमशुल घटनास्थल पर उपस्थित था, यह तथ्य पुष्ट होता है और बचाव पक्ष के इस तर्क का खण्डन होता है कि यह साक्षी घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था।

अपने–अपने साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० 1/वादी मुकदमा रोहित सागर, पी०डब्लू० 4 विशाल सागर व पी०डब्लू० 5 मेवाराम आदि द्वारा भी मौके पर पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम की उपस्थिति बतलायी गयी है।

27. पी०डब्लू० 3 विशुनाथ के साक्ष्य में आया है कि, वह शमशुल इस्लाम को जानता है, जो मेवाराम जी के स्कूल में बच्चों को लाने–ले जाने का काम करता है। यह भी आया है कि, शमशुल इस्लाम सी०ओ० के यहां किस दिन गवाही देने आया था, उसे यह याद नहीं है। पी०डब्लू० 3 विशुनाथ द्वारा साक्षी पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम के संबंध में यह कहा है कि, गवाह शमशुल, मेवाराम से कोई पैसा लेकर गवाही देने नहीं आया था। घटना के संबंध में इस साक्षी से पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में प्रतिपरीक्षा में उसने

यह कहा है कि, उसने मेवाराम के साथ मारपीट होते देखी थी। वह मुकदमा के मुल्जिमान फैजु, फैजियाब, अफजाल, अल्लू उर्फ शुएब, हारिश एवं नफीस इत्यादि को नहीं जानता और उनके किसी साथी को भी नहीं जानता है। 10–12 आदमी मारपीट कर रहे थे। मुल्जिमान में से किसी एक ने चप्पल मेवाराम जी के स्वीमिंग पूल में धोए थे। स्वीमिंग पूल में थूका भी था। चप्पल धोने वाले व्यक्ति का नाम स्पष्ट पता नहीं, न ही थूकने वाले व्यक्ति का। मेवाराम जी के लड़के और उनसे मारपीट स्वीमिंग पूल पर ही हुई। मारपीट 10–15 मिनट तक चली थी। मारपीट के दौरान वह वहीं पर था। विशाल सागर को खुली हुई चोट आयी थी। मेवाराम जी और विशाल सागर की मां को गुम चोट लगी थी। उसने बीच–बचाव की कोशिश की थी। मुल्जिमान को हावी होते देखा, तो वह पीछे हो गया। विशाल को चोट लगने के बाद, वो लोग घर आ गये थे। विशाल को चोट 10:00–10:30 बजे लगी थी। सिर में चोट लगी थी, उसका सिर खुल गया था। मारपीट की रिपोर्ट लिखाने उसके सामने नहीं गये थे। इस सुझाव को उसने गलत बताया है कि, वह मेवाराम जी के दबाव में झूठी गवाही दे रहा हो। इस सुझाव को भी उसने गलत बताया है कि ऐसी कोई घटना न हुई हो। घटना सीसीटीवी कैमरे में दर्ज न होने की कोई वजह वह नहीं बता पाया है। घटना के तीसरे चक्षुसाक्षी पी०डब्लू० 3 विशुनाथ ने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति बतलायी है और यह बतलाया है कि, 'पिछले साल पहली जून को रात के 10:00 बजे 12–13 लोग नहाने आये थे। रोहित और विशाल ने कहा कि पूल बंद हो चुका है। उनमें से एक लड़का चप्पल धोने लगा। विशाल और रोहित ने उन्हें चप्पल धोने से मना किया और दोनों पक्ष में बहसबाजी होने लगी, जो लड़के नहाने आये थे, उन्हीं में से एक लड़के ने फोन करके कुछ अन्य लोगों को बुला लिया। 20–25 लोग आ गये थे। विशाल को कमरे से खींचकर लाए और मारपीट करने लगे। **उनमें से एक के हाथ में पाठल था**। विशाल के माता–पिता बचाने आये, तो उन्हें भी मारा। फैजु और उसके साथियों ने विशाल और उसके माता–पिता के साथ मारपीट की। विशाल का सिर फट गया था और उसके पापा के आंख के पास चोट आयी थी। **चमार–बमार कहकर गाली बक रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा पूल बंद करा देंगे। जान से मारने की धमकी दी थी।**' साक्षी पी०डब्लू० 3 विशुनाथ ने यह कहा है कि वह स्वयं डर गया था और उसने बीच–बचाव नहीं कराया था। इस साक्षी ने कहा है कि वह रोहित सागर के साथ गवाही देने आया है, जोकि मेवाराम जी के बेटे हैं। इस साक्षी पी०डब्लू० 3 विशुनाथ के साक्ष्य में आया है कि, वह डेढ़ साल से मेवाराम जी के घर पर चौकीदारी का काम करता है। इस साक्षी का खाना–पीना भी मेवाराम के घर पर ही होता है। यह

24 घण्टे की चौकीदारी करता है। घटना के संबंध में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि 20–25 लोग पहली जून को पिछले साल मारपीट करने आये थे। उस समय लाइट भाग गयी थी। अंधेरा होने के कारण किसी का चेहरा नहीं पहचान पाया था। फैजु का सिर्फ नाम सुना है, फैजु को देखा नहीं है। अदालत में देखकर वह किसी मुल्जिम को नहीं पहचान सकता। स्कूल में नौकर सुबह 08:00 से रात को 10:00 बजे तक रहते हैं। स्वीमिंग पूल पर चार नौकर रहते हैं। 20–25 लोगों में से किसी एक आदमी के हाथ में हथियार था। फैजु, फैजियाब, अफजाल एवं मेवाराम के बीच में कई दिन पंचायत चलने की बात साक्षी को पता है। यह भी पता है कि पंचायत स्वीमिंग पूल के विषय में हुई थी। वह पंचायत के ही बराबर में रहता है। मेवाराम का नौकर होने के कारण, उनके प्रभाव में झूठी गवाही देने से साक्षी ने इन्कार किया है। स्वीमिंग पूल में चप्पल धोने वाले व्यक्ति को वह नहीं देखा पाया था। स्वीमिंग पूल में थूकते हुए, उसने किसी को नहीं देखा, उसे किसी ने बताया था। चोटें उसने 15–20 मिनट बाद अंदर देखी थीं, अंदर उजाला था। सी०ओ ऑफिस में बयान देना साक्षी ने स्वीकार किया है। घटना के कितने दिन बाद बयान हुआ था, उसे नहीं याद है। रिपोर्ट लिखाने कौन गया था, उसे नहीं पता है। इस साक्षी के अनुसार 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया गया था। उसी ने किया था और पुलिस आयी थी और पुलिस ने ही मौके पर बीच–बचाव किया था। साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस सुझाव से इन्कार किया है कि मुल्जिमान द्वारा विशाल सागर, मेवाराम व मेवाराम की पत्नी के साथ मारपीट न की गयी हो। इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि विशाल के टेंट हाउस का सामान ट्राली से उतारते समय टेंट का लोहे का पाइप फिसलकर विशाल के सिर व मेवाराम के गाल पर लग गया हो। इस सुझाव को गलत बताया है कि, विशाल के टेंट हाउस का सामान उतारते समय लोहे का पाइप फिसलकर लगने से मेवाराम व विशाल के चोटें लग गयी हों, इसलिए वह किसी के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने न गए हों। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वह रोहित सागर के कहने पर झूठी गवाही दे रहा है।

28. इसी प्रकार से उपरोक्त घटना के संबंध में पी०डब्लू० 4 मौके के साक्षी विशाल सागर, जो स्वयं चुटहिल है, उसके मौखिक साक्ष्य में भी यह आया है कि दिनांक 01–06–2024 को रात्रि 10:00–11:00 बजे के बीच की बात है। स्वीमिंग पूल पर फैजु, फैजियाब, अफजाल, हारिश और उनके साथ 7–8 लोग और नहाने आये थे। फैजियाब ने स्वीमिंग पूल में चप्पल धोयी, तो उनके छोटे भाई ने मना किया, तो इन लोगों ने गाली–गलौज करना शुरू कर दिया और कहा कि, 'तुम्हारा तो काम है। तुम तो

चमार हो, तुम तो साफ कर ही लोगे।' फैजु ने गुटखा खाकर पानी में थूका था। शोर शराबे की आवाज पर पास में सो रहे, उसके पापा ने आकर बीच–बचाव कराया था। सब शांत हो गया था, पर फैजु ने अपने पापा को बुला लिया था कि, 'आ जाओ हमारा झगड़ा हो गया। 10–15 लोगों को लेकर आ जाओ।' उस समय अभियुक्तगण चले गये थे, परन्तु उसके 15–20 मिनट बाद 15–20 लोग आ गये थे, जिन्होंने आकर गाली–गलौज की। पी०डब्लू० 4 विशाल सागर, उसके पिता मेवाराम, छोटे भाई व मम्मी को भी मारा। मुल्जिमान के हाथों में डण्डे, रॉड व पाठल थे। मारपीट के दौरान मुल्जिमान उन लोगों को चमार बगैरा बोल रहे थे। उस समय वहां काम कर रहे, चौकीदार आदि लोगों ने उन्हें बचाया था। थाने वह लोग नहीं गये थे। इलाज कराने प्राइवेट अस्पताल में गये थे। पुलिस ने उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया था। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में आया है कि दिनांक 01–06–2024 को रात्रि 10:30–11:00 बजे के बीच वो स्वयं, उसका छोटा भाई, उसके पिताजी और माता जी, दो ड्राइवर व एक चपरासी मौजूद थे। अभियुक्तगण का, चल रहे स्वीमिंग पूल पर समय 10:30 बजे आकर गाली–गलौज करके चले जाना, 15–20 मिनट में पुनः आना, प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से आया है। स्वीमिंग पूल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों में घटना रिकॉर्ड होने के संबंध में इस साक्षी द्वारा यह कहा गया है कि जब अभियुक्तगण आए, उस समय स्वीमिंग पूल बंद हो चुका था। इनवर्टर डाउन था, कैमरे का पता नहीं। स्वीमिंग पूल के आस–पास 100 मीटर पर और भी सीसीटीवी लगे होने और उनका रिकॉर्ड विवेचक को उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में, जो प्रश्न इस साक्षी से पूछे गये हैं, वे उचित नहीं हैं, क्योंकि विवेचना में विवेचक को को यह साक्ष्य एकत्रित करने थे, इस साक्षी को नहीं। अपनी मम्मी का टूटा हुआ मोबाइल विवेचक को दिखाया जाना साक्षी पी०डब्लू० 4 के साक्ष्य में आया है। स्वीमिंग पूल बंद होने के पश्चात परिवार के ही सदस्यों का स्वीमिंग पूल पर रह जाना, रात्रि ड्यूटी पर इंटर कालेज का चपरासी रहता है। घटना वाले दिन फैजु के हाथ में पाठल, फैजियाब व उसके साथियों अफजाल के हाथ में डंडा व रॉड, दोनों में से कुछ थी। पाठल की चोट उसके सिर में आना इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में बताया है। पाठल से दो चोटें आना और सिर में चोट आना बताया है। 12–15 लोगों का झगड़ा करने आना, अंधेरे की वजह से स्पष्ट न दिखना, पहली बार मुल्जिमान के जाने के बाद दरवाजा अंदर से बंद न करना, 112 नंबर पर पुलिस का पहली बार में ही सूचना न देना, खुले दरवाजे से सीधे मुल्जिमान का अंदर आना, अपनी तथा अपने परिवार का स्वीमिंग पूल में बैठा होना, पूल बंद होने के बाद 09:00–09:30 बजे तक नौकरों का जाना और कभी–कभी देर तक

रूकना इस साक्षी पी०डब्लू० 4 के साक्ष्य में आया है। घटना के दिन पूरा परिवार का स्वीमिंग पूल पर होना इस साक्षी के साक्ष्य में आया है। यह भी आया है कि उसके ड्राइवर व चपरासी ने जातिसूचक शब्दों को सुना था। ड्राइवर सुबह 07:00 बजे से जब तक पूल चलता है, तब तक रहता है, जिनका नाम किशनपाल व शमशुल है। मुल्जिमान के जाने के बाद 112 पर पुलिस को फोन करना और 10–15 मिनट में पुलिस का आ जाना, पी०डब्लू० 4 ने बताया है। यह भी कहा है कि मारपीट की घटना के बाद वह थाने नहीं गए थे। पहले पट्टी कराने गये थे। 11:00–11:30 बजे पट्टी करायी थी। पी०डब्लू० 4 विशाल सागर के अनुसार तीन दिन बाद वह एफ०आई०आर० कराने गया था। इलेक्शन चल रहा था, एफ०आई०आर० कर भी नहीं रहे थे। यह बात इस साक्षी के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आयी है। एस०पी० रामपुर, डी०आई०जी० मुरादाबाद व आई०जी० बरेली को डाक से सूचना न देना, परन्तु पोर्टल पर डालना इस साक्षी के साक्ष्य में आया है। विवेचक को अथवा बाद में पोर्टल पर डाले गये प्रार्थना पत्र की रसीद लगायी गयी थी अथवा नहीं, साक्षी विशाल सागर को पता नहीं है। जून में किस चीज का और कब तक चुनाव था, उसे जानकारी नहीं है। रात्रि के घोर अंधेरे में 15 फिट की दूरी पर खड़े आदमी को पहचाना नहीं जा सकता, इस साक्षी के साक्ष्य में आया है। साथ ही यह भी आया है कि फैजु ने गुटखा खाकर स्वीमिंग पूल के पानी में थूका था और 50 मीटर की दूरी से उसने फैजु को ऐसा करते हुए देखा था और फैजियाब ने चप्पल धोयी थी। पहले चप्पल धोयी थी, जब मना किया, तो फैजु ने थूका था। दोनों को पी०डब्लू० 4 ने 50 मीटर की दूरी से ही देखा था। साक्षी पी०डब्लू० 4 ने दिनांक 01–06–2024 को अपने टेंट का सामान ट्राली से उतारते समय लोहे के पाइप फिसलने से उसे और उसके पिता को हल्की चोट आयी हो, इस सुझाव को एवं इस सुझाव को भी कि, इसी कारण उन्होंने किसी के खिलाफ उस समय एफ०आई०आर० नहीं करायी हो, गलत बताया है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि दिनांक 01–06–2024 को रात्रि 09:30 बजे मुल्जिमान फैजु व फैजियाब उसके स्वीमिंग पूल पर न आए हों और मारपीट वाली घटना न घटित हुई हो। न्यायालय में झूठी गवाही देने वाले सुझाव को भी साक्षी ने गलत बताया है और यह कहा है कि वह आज भी अर्थात साक्ष्य के दिन, मुल्जिमान के नाम नहीं बता सकता।

29. पी०डब्लू० 5 मेवाराम द्वारा भी अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य में न्यायालय में दिनांक 01–06–2024 को रात्रि के 10:30 बजे फैजु, फैजियाब, हारिश, अल्लू तथा इनके पापा, और 2–3 लोग एक मास्टर, फरीद का लड़का फैज आदि का घटनास्थल

पर होना, हारिश का और अफजाल का चप्पल धोना और थूकना, अपने पुत्र रोहित द्वारा मना किये जाने पर गाली–गलौज, जातिसूचक शब्द अमार–चमार कहना, 'हमने पैसे दिये हैं, हम तो थूकेंगे भी, मूतेंगे भी कहना' इत्यादि कथन अत्यधिक स्पष्ट रूप से आए हैं। पी०डब्लू० 5 मेवाराम ने अपने साक्ष्य में अपने पुत्रों के साक्ष्य के भांति यह भी बताया है कि घटना के समय वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। शोर सुनकर बाहर आकर, उसने देखा कि फैजु ने फोन करके अपने पापा और 8–10 लोगों को बुला लिया है। उन लोगों ने आकर उनका गेट बजाना शुरू किया, पी०डब्लू० 4 विशाल के बयान में भी यह बात आयी है। यह भी आया है कि, इन लोगों ने भी आकर गाली–गलौज की और कहा कि 'गेट खोलो।' 'इन लोगों ने मुझे व मेरे पिताजी व छोटे भाई को भी मारा था। मम्मी के साथ ही मारपीट की थी।' उनका कमरे में बैठकर खाना, खाना इस साक्षी पी०डब्लू० 5 के साक्ष्य में भी आया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मुल्जिमान अंदर घुस आये और गाली–गलौज की। उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की, उनके लड़के रोहित व विशाल के साथ मारपीट की। विशाल के धारदार हथियार पाठल से वार किया। विशाल के कान पर भी चोट आयी थी, 10–12 टांके आए थे। उनके अपने भी सिर में चोट आयी थी। रात्रि का समय होने के कारण किसने मारा था, वह नहीं देखा पाया। उन लोगों के शोर मचाने पर आसपास के लोग उनका ड्राइवर शमशुल, चौकीदार ने आकर उन्हें मुल्जिमान से बचाया था। साक्षी मेवाराम का कहना है कि घटना की रिपोर्ट लिखाने वह उसी दिन थाने गया था, पर वहां उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। घटना के 24 दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट हुई थी और पुलिस ने मेडिकल कराया था। मुल्जिमान उन्हें धमकी दे रहे थे कि, तुम्हारा स्वीमिंग पूल बंद करवा देंगे। लोगों से उन पर फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। स्वीमिंग पूल पर सीसीटीवी की बैट्री चार्ज करने हेतु सोलर लाइट लगी हुई है। दिनांक 01–06–2024 की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई थी, यह स्पष्ट कथन पी०डब्लू० 5 मेवाराम के साक्ष्य में आया है। यह भी आया है कि कस्बा टाण्डा से उनके स्वीमिंग पूल तक 500 मीटर दायरे में और कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। बादहू साक्षी ने यह कहा है कि 15 दिन पहले लगे हैं। (अर्थात् घटना की दिनांक पर नहीं लगे थे।) दिनांक 01–06–2024 की घटना के संबंध में सी०ओ साहब द्वारा बयान लेना, घटना के समय कमरे में लेटा होना, गाली–गलौज, मारपीट की घटना होना, फैजु–फैजियाब द्वारा स्वीमिंग पूल का पानी गंदा करना इत्यादि सब साक्षी पी०डब्लू० 5 ने बताया है। यह भी कहा है कि दिनांक 01–06–2025 को पहली बार कौन आया था, वह नहीं बता सकते और जब कहासुनी हो रही थी, तभी उनमें से एक

व्यक्ति फैजु ने स्वीमिंग पूल पर खड़े होकर फोन किया था। इस साक्षी द्वारा बार–बार घटना की वीडियो अपने पास होना बतलाया है। सी०ओ० साहब को जो बयान दिया और आज न्यायालय में दिया बयान, दोनों ही सही होना पी०डब्लू० 5 मेवाराम ने कहा है। पी०डब्लू० 5 ने यह भी कहा है कि, जिस समय कहासुनी हो रही थी, उस समय उनके पास मेाबाइल फोन था। स्वीमिंग पूल पर खड़े होकर एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को बुलाने हेतु फोन कर रहा था, तब उन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया था। पुलिस आयी थी। बाद में थाने की पुलिस भी आयी थी। घटना से पहले मुल्जिमान को नहीं जानना और **घटनास्थल पर इण्टर कॉलेज की सोलर लाइट जलना और उसका उजाला आना साक्षी ने बताया है**। 112 नंबर की पुलिस द्वारा सुबह थाने पर आ जाना, यह कहना और चोटों का मुआयना नहीं करवाना साक्षी द्वारा बताया गया है। थाने की पुलिस द्वारा भी चोटों का मुआयना नहीं करवाना यह बताया गया है। थाने जब वह दो दिन बाद तहरीर लेकर गये, तो किसी ने तहरीर नहीं ली और कहा कि पुलिस इलेक्शन में चली गयी है और दो दिन बाद आने को कहा। जीवनरेखा अस्पताल से इलाज करवाना और वहां एडमिट रहना, पोर्टल पर शिकायत किया जाना, आई०जी०, डी०आई०जी० को प्रार्थना पत्र न देना, एस०पी० रामपुर को भेजे गये प्रार्थना पत्र की डाक की रसीद पत्रावली पर है अथवा नहीं, इसकी जानकारी न होना यह सभी बातें पी०डब्लू० 5 मेवाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कही हैं। यह भी बताया है कि **मुल्जिमान और उनके बीच पंचायत हुई थी। मुल्जिमान फैसले का दबाव बना रहे थे**। स्वीमिंग पूल के पूरब में अपने कालेज की रोड, पश्चिम में खेती का खेत केसावती, उत्तर में रोड, दक्षिण में सुशीला देवी इंटर कालेज, साक्षी द्वारा बतलाया गया है। विवेचक द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किये गये नक्शा–नजरी प्रदर्श क–5 में उत्तर की ओर रोड, दक्षिण की ओर सुशीला देवी इण्टर कालेज, खाली जगह व खाली प्लॉट, पूरब की ओर रास्ता, पश्चिम की ओर खेत ही दिखाया गया है, जिससे घटनास्थल की पुष्टि होती है। स्वीमिंग पूल घटना की तिथि पर चालू नहीं है, निर्माणाधीन है, इस तथ्य से इस साक्षी ने इन्कार किया है। उल्लेखनीय है कि इस बिन्दु पर, भांति–भांति के प्रश्न साक्षीगण पी०डब्लू० 1–4 से भी पूछे गये हैं, जिनके द्वारा भी दीवारें बन रहीं होना, परन्तु घटना की तिथि पर स्वीमिंग पूल में पानी होना और स्वीमिंग पूल का चालू होना ही बतलाया गया है। फैजु, फैजियाब और अफजाल तीनों सगे भाई हैं, इस तथ्य की जानकारी पी०डब्लू० 5 मेवाराम को नहीं है। दिनांक 01–06–2024 को मुल्जिमान उनके स्वीमिंग पूल पर नहाने न आए हों, इस सुझाव को एवं टेंट हाउस का सामान ट्राली से उतारते समय लोहे का पाइप फिसल गया था तथा विशाल के लग

गया था और इसी कारण उन्होंने थाने पर तहरीर न दी हो और चोटें उनके गलती से लगी हों, इन सभी सुझावों को, साक्षी पी०डब्लू० 5 मेवाराम ने गलत बताया है।

30. पी०डब्लू० 6 सुशीला देवी पत्नी मेवाराम है। घटना के समय स्वीमिंग पूल के ही पास बने कमरे, जो नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 में प्रदर्शित है, अपने पति और अपने बेटों को खाना परोस रही होना, इस साक्षी ने बताया है और सभी मुल्जिमानों द्वारा अपने सबके साथ गाली–गलौज करना, रोहित और विशाल को कमरे से खींचकर लाना, लड़कों के साथ गाली–गलौज व मारपीट शुरू कर देना, कुछ भी समझ में न आना, अभियुक्त के पास धारदार हथियार व लाठी–डण्डे होना और इनके अपने पति व लड़के विशाल व रोहित के साथ मारपीट कर घायल कर देना, बीच–बचाव की कोशिश में उसके स्वयं के साथ भी मारपीट करके हाथ में डण्डा मारना, यह सभी कथन ऊपर विश्लेषित शेष साक्षियों की ही भांति इस साक्षी पी०डब्लू० 6 के साक्ष्य में आए हैं। यह भी आया है कि उनके स्वीमिंग पूल पर काम करने वाले मजदूरों ने उन्हें मुल्जिमानों से बचाया था। फिर मुल्जिमान उन्हें स्वीमिंग पूल बंद करने और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। हमलावरों में अल्लू, हारिश, फैजु, तौफीक, नफीस एवं अन्य लोगों के नाम याद न होना, कुल 10–15 लोग होना, पुलिस द्वारा साक्षी से बातचीत किया जाना, इस साक्षी पी०डब्लू० 6 के साक्ष्य में आया है। साक्षी पी०डब्लू० 6 के साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह तथ्य भी आए हैं कि घटना के 10–15 दिन बाद रिपोर्ट उसके बेटे रोहित ने लिखायी थी। धक्का–मुक्की, गाली–गलौज की घटना रात 10:30 बजे की है, इस साक्षी पी०डब्लू० 6 सुशीला देवी की प्रतिपरीक्षा में भी यहीं तथ्य आया है कि घटना के समय स्वीमिंग पूल चालू था। दीवारें निर्माणाधीन थीं। इस साक्षी के अनुसार पुलिस को फोन नहीं किया गया था और पुलिस मौके पर नहीं आयी थी। लाइट न आने, जेनरेटर बंद होने के कारण कैमरों में घटना कैद न होना, सोलर लाइट लगा होना, सोलर लाइट से कैमरे ज्यादा देर न चलना, सुबह 08:00 बजे से रात 09:00 बजे तक स्वीमिंग पूल खुला होना, यह सभी तथ्य पी०डब्लू० 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में बताये हैं। घटना के समय स्वीमिंग पूल पर बिल्कुल अंधेरा होना, 10:30 बजे रात्रि की घटना होना, इस साक्षी पी०डब्लू० 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है। इस साक्षी पी०डब्लू० 6 ने यह भी कहा है कि धारदार हथियार फैजु, फैजियाब, हारिश, नफीस, अल्लू के हाथ में थे, बाकी लोगों के नाम उसे नहीं पता। इन सभी लोगों ने उसके पति व दोनों बेटों पर धारदार हथियार से हमला किया था। इन धारदार हथियारों से उसके पति व बेटों को चोटें आयी थीं। इन लोगों ने इन हथियारों से ताबड़तोड़ व अंधाधुंध हमला किया था। चुटैल बेटों व

अपने पति को लेकर वह थाने नहीं गयी, न ही इलाज के लिए सरकारी अस्पताल गयी। प्राइवेट अस्पताल लेकर गयी थी। इस घटना की सूचना उसने पुलिस अधीक्षक या पुलिस के अधिकारियों को नहीं दी। इस घटना के दूसरे दिन वह थाने नहीं गयी। सी०ओ० साहब ने उसके बयान नहीं लिए, न ही पूछताछ की थी। इस घटना से पहले वह मुल्जिमान को नहीं जानती थी। इन 15–20 लोगों को कितनी दूरी से देखा था, उसने नहीं देखा। जब ये लोग उसके कमरे में आ गये, तभी देखा था। इन 15–20 लोगों में से फैजु, फैजियाब, नफीस, अल्लू, हारिश और लोगों के उसे नाम नहीं पता, आदि लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी करीब से ही दी थी, जब यह लोग कमरे में थे। मुल्जिमान फैजु, फैजियाब, अफजाल ने कभी उनके स्वीमिंग पूल पर मजदूरी पर काम नहीं किया था। यह कहना गलत है कि 1,35,000/–रूपयों को लेकर उसके पति व मुल्जिमान के बीच पंचायत हुई हो। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 01–06–2024 को मुल्जिमान फैजु, फैजियाब व अफजाल उनके स्वीमिंग पूल पर नहाने न आए हों। यह कहना भी गलत है कि ट्राली से टेंट हाउस का लोहे का पाइप उतारते समय पाइप फिसल गया हो और पाइप फिसलकर उसके पति मेवाराम व पुत्र विशाल को उनकी गलती के कारण लग गया हो, इसलिए उसने थाने या किसी पुलिस अधिकारी को सूचना न दी हो। इस सुझाव को कि दिनांक 01–06–2024 को अभियुक्तगण फैजु, फैजियाब व अफजाल उनके स्वीमिंग पूल पर नहाने न आये हों, साक्षी पी०डब्लू० 6 द्वारा गलत बताया गया है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि मुल्जिमान ने उन्हें जान से मारने की धमकी न दी हो।

31. मेडिकल करने वाले चिकित्सक धीरज कुमार, पी०डब्लू० 7 के रूप में परीक्षित हुए हैं। दिनांक 25–06–2024 को चुटहिल का डॉक्टरी मुआयना किया जाना और मेडिकल मुआयने के समय पीड़ित मेवाराम के सिर पर चोट का कोई निशान न पाया जाना, डॉक्टर धीरज कुमार निम ने अपने साक्ष्य में बतौर पी०डब्लू० 7 कहा है। विशाल सागर चुटहिल के विषय में पी०डब्लू० 7 डॉ०धीरज कुमार निम ने यह कहा है कि चुटहिल को एक पुरानी भर चुकी चोट का निशान भूरे रंग का चमकता हुआ 3.5cm लम्बा, पतला समतल समांतर चलता हुआ (Horizontally प्रदर्श क–3) बाएं कान से 12cm ऊपर सिर के बाएं तरफ मौजूद होना, निशान के मार्जिन को अस्पष्ट होना और किसी प्रकार का कोई दर्द न होना (Tenderness प्रदर्श क–3) एवं चोट सं० 2 भूरे रंग की चमकती हुई पुरानी भर चुकी 2cm x 5cm ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई बाएं कान से 2cm आगे चेहरे की बायीं तरफ मौजूद होना साक्ष्य में बताया गया है। इसमें कोई

दर्द न होना, इसका समतल होना और कोने टेढ़े–मेढ़े होना कहा है और अपनी राय में यह बतलाया है कि इन चोटों के कारण एवं समय को वह नहीं बता सकता। सुशीला देवी के चिकित्सीय परीक्षण के समय कोई बाहरी चोट का न आना साक्षी ने कहा है। इस संबंध में प्रदर्श क–2 मेवाराम की MLPC, प्रदर्श क–3 विशाल सागर की MLPC, प्रदर्श क–4 सुशीला देवी की MLPC का परिशीलन एवं अध्ययन किया गया।

साक्षी पी०डब्लू० 7 डॉ० धीरज कुमार निम द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह कहा गया है कि विशाल सागर की चोट सं० 1 व 2, छः महीने पुरानी लगना संभव हो सकती हैं। उनमें कोई दर्ज व सूजन नहीं था। दिनांक 01–06–2024 की चोट के बारे में उनकी कोई राय नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा है कि यह भी संभव है कि दिनांक 01–06–2024 की चोट के बारे में विशाल सागर ने उन्हें झूठ बताया हो। मजरूबी चिट्ठी लेकर होमगार्ड के आने के कारण समस्त मजरूबों का मेडिकल करना इस साक्षी ने कहा है। पी०डब्लू० 7 डॉ०धीरज कुमार निम के उपरोक्त साक्ष्य के प्रकाश में **Medical Jurisprudence and Toxicology 23th Edition** द्वारा JaiSingh P Modi, का चोटों के संबंध में अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि, पी०डब्लू० 7 डॉ० धीरज कुमार निम द्वारा प्रदर्श क–3 में चोट सं० 1 व 2 के संबंध में भरा हुआ घाव बतलाया गया है अर्थात् घाव था। इस संबंध में पृष्ठ 694 पर Abrasions की चोटों अर्थात् रगड़ से आयी चोटों के संबंध में यह अंकित है कि "Abrasion does not leave scars on healing" अर्थात् यह Abrasion की चोटे नहीं हैं। पृष्ठ 696 पर Lacerated wound के संबंध में विस्तारपूर्वक आया है, जिसके संबंध में यह अंकित है कि "Laceration means the edges are irregular with surrounding abrasion or bruises. The deeper tissues are torn irregularly" ऐसे घाव नुकीली वस्तुओं से, चिरा हुआ घाव तथा कटे हुए घाव की भांति फटा हुआ घाव तब आना, जबकि त्वचा हड्डी से पास में जुड़ी हो जैसे कि खोपड़ी उदाहरण में लिखा है। कटे हुए घाव से इसका अंतर hand lens के माध्यम से देखकर अनिवार्य रूप से पहचानना कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य तीन प्रकार के फटे हुए (Laceration) घावों का उल्लेख है, वो इस प्रकरण में अप्रासंगिक हैं। पृष्ठ 698 पर कटे हुए घावों (Incised wound) के संबंध में चर्चा की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में धारदार हथियार/पाठल से चुटहिल विशाल सागर को प्रदर्श क–3 में आयी हुई चोटें लगना, मौखिक साक्षीगण के साक्ष्य में आया है, जिसमें JaiSingh P Modi की इस पुस्तक से Incised wound or slash wound के संबंध में यह कहा गया है कि धारदार हथियार से कटने से त्वचा के ऊपर चलाए जाने से ऐसा घाव होता है, जो हल्की धारदार

हथियार जैसे चाकू, रेजर, कैंची अथवा धारदार हथियार जैसे तलवार, गड़ासा, कुल्हाड़ी, फावड़ा, दरांती, कुकरी से एवं टूटे हुए शीशे एवं धातु, जो धारदार हों और उनकी Linear edge से एक इरादे के साथ कारित किए गए होते हैं।

32. पृष्ठ 699 पर इन Characters of Incised or Slash Wound के क्रम सं० 7 में उल्लेख किया गया है कि– The edges may be irregular in cases where the skin is loose as in axilla and abdominal wall or the cutting edge of the weapon is blunt, as the skin will be puckered in front of the weapon before it is divided. इस प्रकार के Irregular margin/edges का उल्लेख प्रदर्श क–3 में विशाल सागर की चोटों सं० 1 व 2 के संबंध में आया है और पी०डब्लू० 7 डॉ०धीरज कुमार निम के साक्ष्य में भी।

33. इसी पुस्तक के पृष्ठ 698 पर यह भी अंकित है कि The edges of a wound made by a heavy cutting weapon such as axe, hatchet or shovel, may not be as smooth as those of a wound caused by a light cutting weapon, such as a knife, or razor. इस तथ्य से मौखिक साक्षियों के साक्ष्य का यह तथ्य की एक अभियुक्त के हाथ में पाठल था तथा उससे चुटहिल विशाल सागर के सिर पर प्रहार किए जाने से उसका सिर खुल गया था, यह तथ्य पुष्ट होता है। पृष्ठ 700 पर कटे हुए घाव में आयु/पुरानेपन के संबंध में, उल्लेख में यह आया है कि "The cellular structure and vessels are obliterated gradually, and are replaed by a dense fibrous scar tissue in three to four weeks. **After about six months the scar becomes tough, white and glistening.**" स्पष्ट रूप से Modi के Medical Jurisprudence की इस पुस्तक में कटे हुए **06 माह से पुराने घाव के संबंध में यह कहा गया है कि छः माह के उपरांत निशान /Scar becomes tough, white and glistening.**

34. उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विशाल सागर को आयी हुई चोटें सं० 1 व 2/प्रदर्श क–3 कटी हुई चोटें हैं। इसकी आयु के संबंध में उपरोक्त पुस्तक के अनुसार इन चोटों को 06 माह से पुराना, तब माना जा सकता था, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का दर्द व Tenderness नहीं होती और Scar (चोट का निशान) सख्त होकर सफेद रंग का होता और चमकीला होता। जबकि स्वयं अपने MLPC प्रदर्श क–3 तथा अपने मौखिक साक्ष्य, दोनों में डॉ० धीरज कुमार निम पी०डब्लू० 7 द्वारा, चोट सं० 1 व 2 का **निशान भूरे रंग का चमकता हुआ लिखा गया है, न कि सफेद रंग का और प्रदर्श**

<u>क–3 में भी ब्राउन Glistening</u> अंकित है। ऐसे में उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में किस आधार पर विशाल सागर की चोट सं० 1 व 2 के 06 माह पूर्व लगना संभव हो सकती हैं, कहा गया है? उनका यह कथन न सिर्फ आश्चर्यजनक है वरन् आपत्तिजनक भी। इस दृष्टि से भी आपत्तिजनक है कि, जब मेडिकल में डॉक्टर द्वारा चोट के बारे में कोई राय देना संभव नहीं पाया गया, ऐसे में उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस प्रकार से राय देना, यही दर्शाता है कि डॉ० धीरज कुमार निम (पी०डब्लू० 7) को अपने दायित्व एवं अपने कार्य की गंभीरता और उनके द्वारा मात्र अनुमान के आधार पर साक्ष्य देने का, क्या प्रभाव हो सकता है, इन समस्त तथ्यों से भी पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। विशाल सागर ने उनसे झूठ बोला था अथवा नहीं, इसके संबंध में भी क्या संभावना थी, इस प्रश्न का भी उत्तर देने का क्या औचित्य था? सामान्य प्रज्ञा के मनुष्य को तो प्रतिपरीक्षा में डॉ०धीरज कुमार निम द्वारा इस प्रकार के उत्तर देने से स्वाभाविक रूप से यह प्रतीत हो सकता है कि वे किसी पक्ष की सहायता करने को तत्पर हैं। जबकि उनको एक निष्पक्ष साक्ष्य देना था।

35. पी०डब्लू० 8 पुलिस क्षेत्राधिकारी टाण्डा कीर्ति निधि आनंद प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक हैं। कीर्ति निधि आनंद द्वारा पी०डब्लू० 8 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में नक्शा नजरी को सिद्ध किया गया तथा अपनी संपूर्ण विवेचना का सिद्ध किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सीसीटीवी का फुटेज उन्हें मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराया गया और मेडिकल परीक्षण के दिन विशाल सागर की पुरानी चोट के निशान पाए गये थे। चक्षु साक्षीगण का वादी मुकदमा चपरासी व ड्राइवर होना भी पी०डब्लू० 8 विवेचक की प्रतिपरीक्षा में आया है। यह भी आया है कि वादी रोहित सागर, सुशीला देवी, मेवाराम एवं विशाल सागर आपस में सगे संबंधी हैं। यहां उपरोक्त समस्त तथ्यों के संबंध में यह विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा कि घटना के चक्षु साक्षीगण वादी मुकदमा एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा यह बात कही गयी है कि घटना के समय लाइट नहीं आ रही थी और मौके पर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। ऊपर विश्लेषण में यह आ चुका है कि पूल पर सीसीटीवी सोलर पैनल से चलते हैं, जो ज्यादा देर नहीं चल पाते। घटना रात्रि 10:30–11:00 बजे के बीच की है। उस समय घटनास्थल पर स्वीमिंग पूल पर और कॉलेज में काम करने वाले मुलाजिम ही स्वाभाविक रूप से उपस्थित हो सकते हैं और जिस परिवार का स्वीमिंग पूल है, वो लोग वहां पर थे, यह तथ्य भी ऊपर सभी साक्षीगण के साक्ष्य में आ चुका है और अभियोजन द्वारा भलीभांति सुस्थापित एवं सिद्ध भी किया गया है। एक ही परिवार के लोग आपस में सगे संबंधी ही होते हैं और वहां काम करने वाले लोग उनके ही चपरासी–मुलाजिम होंगे, यह

स्वाभाविक है। रात्रि 10:30–11:00 बजे के बीच में घटनास्थल पर किसी स्वतंत्र साक्षी का होना किस प्रकार से संभव है और यदि ऐसा कोई साक्षी उपस्थित होता, तो वह विचित्र होता, न कि स्वभाविक साक्षियों का होना।

एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य पी०डब्लू० 8 पुलिस क्षेत्राधिकारी कीर्ति निधि आनंद के साक्ष्य में है, उनसे पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में उनके द्वारा यह कहा गया है कि, तहरीर के मुताबिक यह घटना दिनांक 01–06–2024 की है। डॉक्टर राकेश कुमार का बयान उनके द्वारा सी०डी० के पर्चा सं० 5 में अंकित किया गया था। उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 'मेवाराम व उनका लड़का विशाल सागर मेरे पास आये थे। इन्होंने बताया था कि स्वीमिंग पूल में मरम्मत का काम करते हुए चोट लगी है।' यहां यह तथ्य कि मेवाराम तथा विशाल सागर ने चोटें आने का क्या कारण बताया था, यह विवेचक को डॉ० राकेश कुमार द्वारा बताये जाने के अनुसार एक कही–सुनी बात मानी जाएगी, जो साक्ष्य में अग्राह्य है। परन्तु महत्वपूर्ण यह है कि डॉ० राकेश कुमार को मेवाराम और विशाल सागर ने दिखाया था और अपनी चोटों का इलाज कराया था अर्थात् चुटहिल विशाल सागर व उसके पिता मेवाराम का यह कथन, बचाव पक्ष के ही द्वारा पी०डब्लू० 8 पुलिस क्षेत्राधिकारी कीर्ति निधि आनंद से की गयी प्रतिपरीक्षा से सत्य सिद्ध होता है, कि प्राइवेट डॉक्टर से चोटों का इलाज उनके द्वारा करवाया गया था। बचाव पक्ष द्वारा स्वयं विवेचक से यह प्रश्न पूछकर अभियोजन के कथानक को न सिर्फ बल दिया गया है वरन् उसकी सत्यता को भी न्यायालय के सम्मुख प्रमाणित किया गया है, क्योंकि इससे न्यायालय के सम्मुख यह तथ्य भी पुष्ट एवं सिद्ध हुआ है कि घटना के दिन व समय पर विशाल सागर एवं उसके पिता मेवाराम को चोटें आयी थीं। जिनका प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाने का तथ्य साक्षीगण एवं चुटहिल द्वारा सही–सही अपने बयान में कहा गया है। केस डायरी में विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा डॉ०राकेश कुमार से मिलने और उनका बयान रिकॉर्ड करना अंकित है।

केस डायरी के पर्चा सं० 6 विवेचना के दौरान डॉ०राकेश कुमार का बयान विवेचक द्वारा लिया गया है, जिसमें जीवन रेखा अस्पताल, कस्बा टाण्डा, रामपुर के चिकित्सक, डॉ० राकेश कुमार द्वारा दिनांक 01–06–2024 को मेवाराम व उसके लड़के विशाल सागर का अपने पास आना और दोनों का प्राथमिक उपचार करना और उनके सामान्य चोटें आना विवेचक को बताया गया है। पी०डब्लू० 8 विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी कीर्ति निधि आनंद की प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त कथन एवं पी०डब्लू० 7 डॉ०धीरज कुमार निम, जिनका भी बयान विवेचक द्वारा अंकित किया गया, के द्वारा

चुटहिल विशाल सागर/पी०डब्लू० 8 की जिन चोटों कीMLPC तैयार की गयी, उनकी दिनांक 01–06–2024 को ही आने का तथ्य एवं प्राइवेट डॉक्टर से इलाज का तथ्य सिद्ध होता है।

36. पी०डब्लू० 8/विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी कीर्ति निधि आनंद द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि, उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर बिना जांच पड़ताल के ही अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठा आरोप पत्र दाखिल कर दिया हो। इस तथ्य को भी गलत बताया गया है कि उन्होंने वादी से साजबाज करके वादी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

37. साक्षी पी०डब्लू० 5 मेवाराम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आया। पी०डब्लू० 4 विशाल सागर के भी साक्ष्य में आया है कि, उसके पिता बगल के कमरे में सो रहे थे। इस साक्षी (पी०डब्लू० 5) के साक्ष्य एवं पी०डब्लू० 4 विशाल सागर के साक्ष्य, दोनों के साक्ष्य में यह आया है कि, इन लोगों ने गेट खुलवाया। पी०डब्लू० 5 मेवाराम ने कहा है कि, इन लोगों ने आकर पूल का गेट बजाना शुरू कर दिया। गेट खुला हुआ था। यह लोग अंदर घुस आए। गाली–गलौज और मारपीट की। धारदार हथियार पाठल से ही विशाल सागर के सिर पर वार किया। यह तथ्य मौखिक साक्षीगण के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है, जैसा कि ऊपर विस्तृत विश्लेषण में आ चुका है। ड्राइवर शमशुल इस्लाम और चौकीदार आदि ने शोर सुनकर, आकर बचाया, यह भी इस साक्षी के साक्ष्य में आया है। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात को कन्फर्म किया है कि वह अपने कमरे में लेट रहा था। शोर सुनकर बाहर आया, तो उसने अपने सामने फोन से अन्य लोगों को बात करते हुए देखा था। इस साक्षी ने भी यह स्पष्ट किया है कि उस रात्रि वह विश्राम स्वीमिंग पूल पर नहीं कर रहा था, इंटर कालेज पर कर रहा था। इंटर कालेज का स्वीमिंग पूल से फासला 50 मीटर बताया गया है। यह भी कहा गया है कि, उनका खाना पकाना इंटर कॉलेज पर भी होता है। रात्रि के अंधेरे में 15 फिट दूर खड़े किसी अंजान व्यक्ति को नहीं पहचान सकता, इस सुझाव को इसने सही कहा है। मुल्जिमान हारिश, फैजु, फैजियाब, अल्लू के साथ 10–12 लोगों का आना इस साक्षी ने बताया है। अंधेरी रात में किस आदमी के हाथ में क्या हथियार था, यह वो बता सकता है। **फैजु के हाथ में पाठल था और शेष फैजियाब के हाथ में लोहे की राड थी और अन्य के हाथ में डण्डे थे, यह बताया है और अत्यधिक स्पष्ट रूप से कहा कि कालेज की सोलर लाइट जल रही थी, उसका उजाला आ रहा था।** स्वीमिंग पूल पर स्वयं अपना, अपनी पत्नी, लड़के, चौकीदार, ड्राइवर का मौजूद

होना इस साक्षी ने भी कहा है। पी०डब्लू० 1 रोहित सागर ने जब यह कहा कि जब दोबारा यह लोग आए, तो 'हमनें उन्हें नहीं देखा था। गेट पर आ गये थे, तब देखा था। करीब 20–25 कदम की दूरी पर थे। हम यह समझ गये थे कि यह वही लोग हैं, जो वापस गए थे।'

38. अंधेरा होने को भी एक बचाव के रूप में बचाव पक्ष ने लिया है। इस संबंध में मौखिक साक्षीगण के साक्ष्य का अत्यधिक विस्तृत–गहन विश्लेषण किया जा चुका है, जिनसे यह तथ्य न्यायालय के सम्मुख आता है कि यद्यपि अंधेरी रात थी तथापि, बगल के कालेज की सोलर पैनल की लाइट जल रही थी, जिसका प्रकाश आ रहा था। साक्षीगण द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि 10–15 मीटर की दूरी से अंधेरी रात में किसी व्यक्ति को नहीं पहचाना जा सकता, परन्तु अभियुक्तगण का 20–25 कदम की दूरी पर होने से पहचाना गया और अभियुक्तगण द्वारा दोबारा आने, पास में आने पर गाली–गलौज व मारपीट की गयी। ऐसे में वादी मुकदमा, उसके घरवाले व मौके पर उपस्थित उनका चपरासी व ड्राइवर और अभियुक्तगण को भली–भांति देखा गया और वे उन्हें पहचान सके, यह तथ्य विश्वसनीय है। यह अलग बात है कि उन लोगों को उस समय अभियुक्तगण का नाम व वल्दियत इत्यादि न पता रही हो।

39. बचाव पक्ष द्वारा एक बचाव यह भी लिया गया है कि अंधेरे के कारण अभियुक्तगण को घटनास्थल पर पहचान नहीं सके। इस संबंध में साक्षी पी०डब्लू० 3 विशुनाथ द्वारा अभियुक्तगण को नहीं पहचान सकना कहा गया है। जैसा कि उपर पी०डब्लू० 3 के बयान के विस्तृत विश्लेषण में आ चुका है, परन्तु इसी साक्षी को यह स्पष्ट होना जानकारी होना भी इसके साक्ष्य में आया है कि, फैजू, फैजियाब, अफजाल एवं मेवाराम के बीच कई दिन पंचायत चली थी और पंचायत स्वीमिंग पूल के विषय में थी। और इस सुझाव को उसने गलत बताया है कि मुल्जिमान द्वारा मेवाराम व मेवाराम की पत्नी के साथ मारपीट न की गयी हो। पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम द्वारा स्वयं मेवाराम के साथ मारपीट होते हुए देखा गया है, यह उसके साक्ष्य में आया है। मुकदमे के समस्त मुल्जिमान को वह नहीं जानता है। मेवाराम व उनके लड़कों के साथ मारपीट स्वीमिंग पूल पर हुई थी और मारपीट 10–15 मिनट चली थी। मारपीट के दौरान वह वहीं पर था और मुल्जिमान को हावी होता देखकर वह पीछे हट गया था, यह उसके साक्ष्य में आया है। पी०डब्लू० 1 रोहित सागर द्वारा स्वयं अभियुक्तगण को पूल में चप्पल धोने, गुटखा खाकर थूकने से मना किया गया था और उन लोगों द्वारा उसे गालियां दी गयी थीं और जातिसूचक शब्द चमट्टे कहकर अपमानित किया गया था। जान से मारने

की धमकी भी दी गयी थी, यह सब चिल्ला–चिल्ला कर नहीं कहा गया था, जिससे स्पष्ट है कि उभयपक्ष ने एक–दूसरे को पास से दखा था। मुल्जिमान का घर वादी मुकदमा के घर से 500 मीटर की दूरी पर है। यह बात पी०डब्लू० 1 की प्रतिपरीक्षा में पृष्ठ 02 पर आयी है। मुल्जिमान द्वारा इस साक्षी के करीब जाकर उसके तथा उसके घरवालों के साथ मारपीट की गयी थी। अतएव ऐसे में वादी तथा उसके घरवलों द्वारा निश्चित रूप से मुल्जिमान को पास से भी देखा गया है, न कि 15 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर दूर से ही। पी०डब्लू० 1 की प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि जब मुल्जिमान दोबारा आए थे, तो उनको तब देखा था, जब वह 20–25 कदम की दूरी पर थे। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यही साक्षी अपने साक्ष्य में कह रहा है कि किसके हाथ में क्या हथियार था, यह अंधेरे के कारण ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि बहुत से लोग थे, जिससे उसके मौखिक साक्ष्य की प्रमाणिकता न्यायालय के सम्मुख आती है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। इसी प्रकार से चुटहिल पी०डब्लू० 4 विशाल सागर को तो बिल्कुल पास जाकर मुल्जिमान द्वारा मारापीटा गया, ऐसे में वो मुल्जिमान को पूरे–पूरे रूप से पहचान नहीं पाया, यह तथ्य सामान्य प्रज्ञा के व्यक्ति के लिए भी अविश्वसनीय है। पी०डब्लू० 4 के साक्ष्य में यह आया है कि रात्रि होने की वजह से स्पष्ट नहीं देखा कि कुल कितने लोग थे। जबकि पी०डब्लू० 5 मेवाराम के साक्ष्य में आया है कि मौके पर अंधेरा था, परन्तु अंधरी रात्रि में किस आदमी के हाथ में क्या हथियार वह बता सकता है। फैजू के हाथ में पाठल थी, फैजियाब के हाथ में लोहे की रोड थी और अन्य के हाथ में डण्डे थे, क्योंकि वहां काालेज के सोलर उर्जा की लाइट जल रही थी, उसका उजाला आ रहा था। मौखिक साक्षी के साक्ष्य में चुटहित विशाल सागर को कमरे के अंदर से बाहर ले जाना भी आया है। पी०डब्लू० 6 ने अत्यधिक स्पष्ट कथन किया है कि विशाल को कमरे से खींच लाए। आगे उनके साक्ष्य में यह भी आया है कि इन पन्दह–बीस लोगों को कितनी दूर से देखा था, मैंने नहीं देखा। जब यह लोग मेरे कमरे में आ गये, तभी देखा था। इन पन्द्रह–बीस लोगों में फैजू, फैजियाब, नफिज, अल्लू, हारिश और लोगों के नाम मुझे नहीं पता। धमकी करीब से ही दी थी, जब यह लोग कमरे में थे। उपरोक्त समस्त विश्लेषण से अंधेरा होने के बावजूद अभियुक्तगण को वादी मुकदमा और चुटहिल मेवाराम व विशाल तथा उनकी मां सुशीला द्वारा ठीक–ठीक देखा व पहचाना गया और नाम सहित एफ०आई०आर० लिखवायी गयी, यह तथ्य अभियोजन द्वारा संदेह से परे सिद्ध किया गया है।

40. बचाव पक्ष द्वारा बार–बार यह प्रश्न अभियोजन के समस्त साक्षीगण से किये गये हैं कि टेंट हाउस के कार्य में पाइप फिसलने से 01–06–2024 को ही विशाल

सागर के सिर व मेवाराम के गाल पर चोटें लग गयी थीं। परन्तु ऊपर उपरोक्त समस्त साक्षियों के साक्ष्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि बचाव पक्ष किसी भी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के माध्यम से, इस तथ्य को कहलवा पाने में असफल रहा है कि, 'चुटहिल विशाल सागर व मेवाराम को चोटें टेंट हाउस के कार्य में पाइप फिसलने से आयी हों।' बचाव पक्ष के इस Defense (बचाव) से यह स्पष्ट होता है कि, बचाव पक्ष इस तथ्य को स्वयं स्वीकार कर रहा है कि चुटहिल विशाल सागर व मेवाराम को दिनांक 01–06–2024 को निश्चित रूप से चोअैं आयी थीं, जो कठोर धारदार धातु से आयी थीं। परन्तु टेंट हाउस का सामान उतारते समय लोहे का पाइप फिसलने से उनको चोटें आयी हों, इस तथ्य को अभियोजन के किसी साक्षी के माध्यम से सिद्ध करवाने में बचाव पक्ष असफल रहा है और अपनी ओर से बचाव पक्ष ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 यह कहती है कि–

<u>101. सबूत का भार–</u> *जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।*

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

41. उपरोक्त धारा के अंतर्गत, अपने द्वारा लिये गये बचाव (Defense) को सिद्ध करने का भार, बचाव पक्ष पर ही था, क्योंकि वे, न्यायालय से इसी बचाव के आधार पर अपने पक्ष में एक राहत चाहते हैं।

42. एक दूसरा बचाव (Defense) बचाव पक्ष द्वारा यह लिया गया है कि अभियुक्तगण फैजु, फैजियाब, अफजाल, अल्लू उर्फ शुएब, हारिश एवं नफिज के द्वारा 3–4 महीने तक मेवाराम के स्वीमिंग पूल पर काम किया गया था और उनके 1,35,000/–रूपये की मजदूरी मेवाराम द्वारा अदा नहीं की गयी थी और उसी मजदूरी को अदा न करना पड़े, इसी कारणवश यह झूठा वाद अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखवा दिया गया है। इस संबंध में पी०डब्लू० 1 रोहित सागर से प्रतिपरीक्षा में प्रश्न पूछे गये हैं कि दिनांक 25–02–2024 से फैजु, फैजियाब व अफजाल ने उनके स्वीमिंग पूल पर मजूदरी की हो, इस सुझाव को पी०डब्लू० 1 रोहित सागर ने गलत बताया है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि, उनके स्वीमिंग पूल के निर्माण में उन लोगों ने निरंतर चार महीने तक काम किया हो। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि, उन लोगों ने तीनों मजदूरों के मजदूरी के 1,35,000/–रूपये रोक रखे हों। इस सुझाव को भी गलत

बताया है कि, उक्त लोग उनसे बार–बार अपनी मजदूरी के पैसे मांगते हों और यह कहना भी गलत है कि, वे लोग धनाढ्य किस्म के व्यक्ति हों और दबंगई के बल पर इन तीनों लोगों के 1,35,000/– रूपये की बेईमानी कर ली हो। बार–बार सुझाव दिये जाने पर भी बचाव पक्ष अपने हक में पी०डब्लू० 1 से कुछ नहीं कहलवा पाया है। पृष्ठ 06 पर पी०डब्लू० 1 रोहित सागर द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि इन मजदूरों ने पैसे न देने के कारण पंचायत बुलायी थी, जिसका उन्हें बुरा लगा हो और पंचायत में लोगों ने उनको बुरा–भला कहा हो। इसी खुन्नस की वजह से सी०ओ० साहब से मिलकर इन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया हो। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि मुल्जिमान की मजदूरी के 1,35,000/– न देने पड़े, इसलिए उन्होंने फैजु, उसके पिता व भाईयों के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। न्यायालय में झूठी गवाही देने से इन्कार किया है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उन्होंने फैजु, फैजियाब व अफजाल के 1,35,000/–रूपये हड़प कर लिए हों, जबकि सरकारी सहायता प्राप्त करने के तथ्य को साक्षी ने स्वीकार किया है। यहां पुनः एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि मौखिक साक्षीगण से उनके बार–बार धनाढ्य होने, उनके कर्मचारियों से भी उनको धनाढ्य होने के संबंध में प्रश्न किये गये हैं और आश्चर्यजनक रूप से इसी के साथ–साथ सरकारी सहायता भी मिल गयी और इसीलिए भी केस किया गया है, यह भी दलील दी जा रही है। पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम ने भी अपने साक्ष्य में यह कहा है कि यह बात मेरी जानकारी में नहीं है कि फैजु , फैजियाब व अफजाल ने मेवाराम के स्वीमिंग पूल पर ईंट–गारे की मजदूरी की थी। इस बिन्दु पर सुझावों के उत्तर में साक्षी पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम ने यह कहा है कि यह बात उसकी जानकारी में नहीं है कि फैजु, फैजियाब व अफजाल के 1,35,000/– रूपये की बेईमानी वादी व उसके परिवार ने कर ली थी और इस संबंध में फैजु, फैजियाब व अफजाल एवं मेवाराम के बीच कई दिन पंचायत चली। इसी प्रकार से पी०डब्लू० 3 विशुनाथ ने अपने प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि, फैजु, फैजियाब एवं अफजाल एवं मेवाराम के बीच कई दिन पंचायत चली थी, यह बात उसकी जानकारी में है और पंचायत स्वीमिंग पूल के विषय में हुई थी, यह बात भी उसकी जानकारी में है। इस साक्षी से भी बचाव पक्ष द्वारा कथित मजदूरी के 1,35,000/– रूपये संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया गया है। पी०डब्लू० 4 विशाल सागर ने भी अनेकों सुझाव इस बिन्दु पर दिये हैं, जिसमें उसका कहना है कि यह कहना गलत है कि इन तीनों लेागों ने हमारे स्वीमिंग पूल के निर्माण में लगातार चार महीने काम किया हो। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि इन लोगो की 1,35,000/–रूपये की

मजदूरी उन्होंने रोक रखी हो और यह लोग अपनी मजदूरी की बार–बार मांग कर रहे हों। पुनः इस तथ्य को गलत बताया है कि वह धनाढ्य किस्म के दबंग व्यक्ति हैं और अपनी दबंगई के बल पर इन मजदूरों के मु० 1,35,000/– रूपये की बेईमानी कर ली हो और इन तीनों मजूदरों ने पैसे लेने के लिए पंचायत बुलायी हो और उन्हें इस बात का बुरा लगा हो और पंचायतियों ने उनको भला–बुरा कहा हो और इस वजह से वह इन मजदूरों से खुन्नस रखते हों। पुनः इस सुझाव को भी गलत बताया है कि उन्हें इन मजदूरों फैजु,फैजियाब व अफजाल के मजदूरी के 1,35,000/– रूपये न देने पड़े, इसी वजह से सी०ओ० साहब से साजबाज करके यह झूठा मुकदमा लिखा दिया हो और इन तीनों के 1,35,000/– रूपये हड़प कर लिये हों, न सिर्फ यही सरकार से सहायता प्राप्त कर ली हो। पी०डब्लू० 5 मेवाराम से भी इस बिन्दु पर सुझाव लिए गये हैं, जिसमें उन्होंने फैजु, फैजियाब व अफजाल के दिनांक 25–02–2024 से अपने स्वीमिंग पूल में काम करने के सुझाव को गलत बताया है। दो बार इस सुझाव को गलत बताया है और पुनः इन समस्त सुझावों को भी गलत बताया है कि मुल्जिमान की 1,35,000/– रूपये की मजदूरी, उनकी तरफ आ रही हो। इस संबंध में पंचायत हुई हो और वो धनाढ्य व दबंग व्यक्ति हों और मुल्जिमान के आ रहे मजदूरी के 1,35,000/– रूपयों को मार लिया हो। यह भी गलत है कि मुल्जिमान के 1,35,000/– उनकी तरफ आ रहे हों, उन्होंने अपने पैसे की मांग की हो, इसका बुरा मान गए हों और सी०ओ० से साजबाज करके यह मुकदमा लिखवा दिया हो। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि सरकारी सहायता भी प्राप्त कर ली हो और मुल्जिमान के पैसे भी मार लिए हों। पी०डब्लू० 6 सुशीला देवी ने भी मुल्जिमान के अपने स्वीमिंग पूल पर काम करने, 1,35,00/–रूपये की मजदूरी अपनी तरफ आने और इन 1,35,000/– रूपये को लेकर उनके पति और मुल्जिमान के बीच पंचायत होने के तथ्य को गलत बताया है और इन तथ्य को भी गलत बताया है कि इन लोगों के 1,35,000/–रूपये की बेईमानी कर ली हो और सरकारी सहायता भी प्राप्त कर ली हो। उपरोक्त समस्त साक्ष्य से एक स्वाभाविक प्रश्न यह भी उठता है कि, यदि ऐसी कोई पंचायत हुई थी और उसमें पंचायतियों ने मजदूरी के बकाया रूपयों को लेकर वादी मुकदमा व उसके परिवार के सदस्यों को भला–बुरा कहा था, तो उस पंचायत के किसी भी सदस्य को स्वाभाविक रूप से साक्ष्य में न्यायालय के सम्मुख बचाव पक्ष द्वारा क्यों प्रस्तुत नहीं कराया गया।

43. यहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 का दृष्टांत (Illustration) छ (g) अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो न्यायालय किन्हीं तथ्यों का

अस्तित्व उपधारित कर सकेगा, के संबंध में है, जिसमें यह कहा गया है कि–

114. Court may presume existence of certain facts.– The Court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business, in their relation to the facts of the particular case.

Illustrations

(g) 'that evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavourable to the person who withholds it;'

44. प्रस्तुत प्रकरण में पंचायत के किसी भी सदस्य को, जो उपरोक्त तथ्य को सिद्ध करने के स्वाभाविक एवं सहज साक्षी हो सकते थे, उन्हें अपने द्वारा लिए गए इस बचाव को सिद्ध करने हेतु, बचाव पक्ष द्वारा न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही प्रस्तुत करने का कोई कारण बताया गया है। अतएव उपरोक्त धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध यही Presumption की जाएगी कि यदि उसमें से किसी साक्षी को प्रस्तुत किया जाता , वह साक्ष्य निश्चित रूप से अभियुक्तगण के विरूद्ध ही जाता।

45. पी०डब्लू० 8/विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी कीर्ति निधि आनंद से मुल्जिमान की कोई मजदूरी वादी मुकदमा और उसके घरवालों के ऊपर बकाया हो, इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया गया है। तदनुसार न्यायालय के सम्मुख अभियुक्तगण की कोई मजदूरी के पैसे वादी मुकदमा और उसके घरवालों के ऊपर बकाया हों और वो न देने पड़े या बदले के भाव से, वादी मुकदमा तथा उसके घरवालों द्वारा यह झूठा वाद अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखाया गया हो, यह तथ्य असिद्ध है। जबकि बचाव पक्ष द्वारा ही यह Defense लिया गया था, अतएव धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, के अंतर्गत, इसे सिद्ध करने का पूरा–पूरा दायित्व बचाव पक्ष पर ही था, जिसे सिद्ध करने में वे असफल रहे हैं और उनके द्वारा तथ्यों को सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है।

46. साशय जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के बिन्दु पर पी०डब्लू० 1 रोहित सागर की मुख्य परीक्षा में ही पूल में चप्पल धोने और गुटखा खाकर थूकने से मना करने पर अभियुक्तगण द्वारा गंदी–गंदी गालियां और जातिसूचक शब्द चमट्टे कहकर अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले जाने का स्पष्ट कथन

आया है। यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि पी०डब्लू० 1 प्रतिपरीक्षा में यह भी आया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो भी नामजद अभियुक्त हैं, वो वादी मुकदमा के घर से 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं अर्थात् आते–जाते उभयपक्ष ने एक–दूसरे को देखा अवश्य होगा। इस साक्षी से शेष प्रतिपरीक्षा में मारपीट, चोटों तथा हथियारों इत्यादि के संबंध में पूछा गया है, परन्तु जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **महावीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2014 (6) एस०सी०सी० पृष्ठ 716** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि,'*यदि बचाव पक्ष द्वारा मुख्य परीक्षा में किसी तथ्य के संबंध में प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी, तो उस बिन्दु पर साक्षी का साक्ष्य अकाट्य हो जाता है।*'

पी०डब्लू० 2 शमशुल इस्लाम द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यह लोग मेवाराम व उसके परिवार के लोगों को जातिसूचक शब्द चमार बगैरा कह रहे थे। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन आया है कि मेवाराम व उसके परिवार के लोगों को जातिसूचक शब्द चमार बगैरा कह रहे थे और 10–12 लोग मारपीट कर रहे थे। मेवाराम और उसके लड़कों से मारपीट स्वीमिंग पूल पर ही हुई थी। यह तथ्य भी इस स्वतंत्र साक्षी (पी०डब्लू० 2) के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है कि मारपीट के दौरान वह वहीं पर था। **मेवाराम को किस व्यक्ति ने चमार बगैरा कहा था, उसे नहीं पता। अंधेरे के कारण उनका चेहरा देखकर उनके नाम यह साक्षी नहीं बता पाया है, परन्तु यही लोग थे, यह स्पष्ट कथन इस साक्षी के साक्ष्य में आया है।** पी०डब्लू० 3 विशुनाथ की भी मुख्य परीक्षा में यह तथ्य स्पष्ट रूप से आया है कि चमार–बमार कहकर गाली बक रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा पूल बंद करा देंगे। जान से मारने की धमकी दी थी। जातिसूचक शब्द के संबंध में प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी से प्रश्न नहीं किया गया है। पी०डब्लू० 4 विशाल सागर के साक्ष्य में स्पष्ट रूप से आया है कि, जब उसके छोटे भाई ने पूल में चप्पल धोने से मना कर किया, तो इन लोगों ने गाली–गलौज शुरू कर दी। **इन्होंने बोला कि 'तुम्हारा तो काम है, तुम तो चमार हो, तुम तो साफ कर ही लोगे' और इसके 15–20 मिनट बाद 15–20 लोग आ गये थे।** रोज स्वीमिंग पूल बंद होने के बाद परिवार के सदस्य ही पूल पर बचते हैं, यह तथ्य भी इस साक्षी के साक्ष्य में आया है। यह भी आया है कि इण्टर कालेज पर रात्रि ड्यूटी पर हम चपरासी रखते हैं। विशुनाथ सिंह हमारे इण्टर कालेज का चपरासी है, जिससे पी०डब्लू० 3 की घटना के दिन, घटनास्थल पर उपस्थिति पुष्ट होती है, क्योंकि स्कूल के पास ही स्वीमिंग पूल है। इस साक्षी से बहुत विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है, परन्तु गाली–गलौज न की गयी हो अथवा

मारपीट न की गयी हो अथवा अपमानित करने के उद्देश्य से चमार कहकर गाली न दी गयी हो, इस संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं किया गया है। मात्र एक सुझाव दिया गया है , जिसके उत्तर में साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 01–06–2024 को रात्रि 09:30 से रात्रि 12:00 बजे तक मुल्जिमान फैजु,फैजियाब व उसके साथी हमारे स्वीमिंग पर न आये हों और कोई मारपीट वाली घटना घटित न हुई हो। इसी वजह से सीसीटीवी कैमरों में कोई फुटेज कैद न हुई हो। पी०डब्लू० 5 मेवाराम द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में बताया गया है कि जब अभियुक्तगण स्वीमिंग पूल पर चप्पल धो रहे थे, थूक रहे थे, उनके लड़के रोहित ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया/रोका, तो यह लोग गाली–गलौज, जातिसूचक शब्द अमार–चमार कहा, कहने लगे कि 'हमने पैसे दिये हैं, हम तो थूकेंगे भी, मूतेंगे भी।' जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के संबंध में साक्षीगण पी०डब्लू० 3, 4 व 5 किसी से भी प्रतिपरीक्षा में विशिष्ट प्रश्न न किए जाने पर, पुनः इस तथ्य के संबंध में मुख्य परीक्षा में दिए गए साक्ष्य के फलस्वरूप **महावीर सिंह (उपरोक्त)** की उपरोक्त विधि व्यवस्था की इस बिन्दु पर, इन साक्षियों का साक्ष्य अकाट्य हो जाता है, पूर्णतः लागू हो होती है। आम रूप से दृश्यस्थल पर अनेकों लोगों की उपस्थिति में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रोहित सागर को अपमानित करने के आशय से ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया, यह तथ्य अभियोजन द्वारा संदेह से परे सिद्ध किया गया है। साक्षियों के साक्ष्य में कुछ शब्दों के इधर –उधर होने मात्र से यह अपराध कारित न किया गया हो, यह तथ्य सिद्ध नहीं होता।

47. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य के अत्यधिक सावधानीपूर्वक विश्लेषण के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि, अभियुक्तगण एक बार पूल पर आए और उनके द्वारा वहां पर पूल में चप्पल धोयी गयी, गुटखा थूका गया, गाली–गलौज की गयी, पूल बंद करवाने व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा साशय जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया गया। उपरोक्त समस्त तथ्य लगभग समस्त साक्षियों के साक्ष्य में आए हैं। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि बचावपक्ष द्वारा अनेक प्रकार से कई प्रश्न प्रत्येक साक्षी से किए गए हैं, परन्तु अपने इन प्रश्नों के माध्यम से वे इस तथ्य को असिद्ध नहीं करवा सके हैं कि , वादी मुकदमा व उसके परिवार के सदस्य, कालेज का चौकीदार शमशुल तथा चपरासी/घर का गार्ड विशुनाथ घटना के दिन, घटना के समय, घटनास्थल वादी पक्ष के स्वीमिंग पूल पर उपस्थित न रहे हों। जबकि अभियोजन द्वारा इन समस्त साक्षीगण की उपस्थिति घटना के समय, दिन व स्थल पर, अपने साक्ष्य के माध्यम से संदेह से परे सिद्ध की गयी है।

साक्षियों के साक्ष्य में छोटी–मोटी विषमताएं आना एक स्वाभाविक तथ्य है, यदि सभी साक्षियों द्वारा समान रूप से उन्हीं तथ्यों की पुनरावृत्ति अपने–अपने साक्ष्यों में की गयी होती, तो यह निश्चित ही उनके साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करता कि 24 दिन के इस विलंब की अवधि में सभी साक्षी द्वारा सलाह मशवरा करके एक राय होकर मिथ्या साक्ष्य दिया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय **भर्वदा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम गुजरात राज्य, 1983 (20) ACC पेज 297** पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "तुच्छ अंतरों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। किसी भी साक्षी से यह परिकल्पना नहीं की जा सकती कि उसके अंदर कोई फोटोग्राफी मशीन लगी है, जो घटना के प्रत्येक विवरण को एकत्रित कर रही है और यह ऐसा नहीं है कि उसे उस वीडियो टेप को चलाना हो। घटनाओं के बारे में साक्षी को पहले से पूर्वानुमान नहीं रहता और घटनायें अचानक होने से मस्तिष्क सारे तथ्यों को पूर्ण ग्रहण नहीं कर पाता। घटना को देखने की शक्ति व्यक्ति से व्यक्ति अलग होती है। कुछ तथ्यों को एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, जबकि दूसरा वही तथ्य ग्रहण नहीं कर पता। कोई वस्तु या घटना का कोई तथ्य किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में ज्यादा नहीं हो पाता। आमतौर पर व्यक्ति किसी आपसी बातचीत को अक्षरशः हूबहू नहीं बता सकता। वह अपनी याददाश्त से उन शब्दों को बताता है। किसी भी मनुष्य से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वह टेपरिकॉर्डर है। घटना के वास्तविक समय या घटना होने के कारण के बारे में व्यक्ति अपने अनुमान से आंकलन करके बताता है। किसी से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह निश्चित और विश्वसनीय विवरण ऐसे मामले में दे पायेगा। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच समय ज्ञान के ग्रहण में अंतर होता है। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच समय ज्ञान के ग्रहण में अंतर होता है। साधारण तौर पर किसी भी साक्षी से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह घटना की क्रमबद्धता को जैसी घटना हुई थी, उसी प्रकार बयान कर दे। क्योंकि साक्षी थोड़ा भ्रमित हेाता है और बाद में विवेचना के दौरान वह क्रमबद्धता आपस में मिल जाती है। न्यायालय में जिरह के दौरान पूर्ण रूप से सत्य का साक्षी भी न्यायालय के वातावरण, अधिवक्ता द्वारा जिरह करने के कारण वह कुछ घबरा जाता है और घटना के क्रम को बताने में भ्रमित हो जाता है। ऐसा अंतर जो घटना के मूलभूत स्वरूप को नहीं हिलाते, उसे अनावश्यक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।"

48. अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के सम्मुख यह तथ्य भी संदेह से परे सिद्ध किया गया है कि, प्रथम बार उपरोक्त घटना कारित करने के उपरांत अभियुक्तगण में से एक ने अपने पिता को फोन करके और लोगों को बुलाया तथा

प्रथम घटना के बाद एक समान उद्देश्य से एक झुण्ड के रूप में संख्या में पांच से अधिक अभियुक्तगण पुनः घटनास्थल स्वीमिंग पूल के परिसर का गेट बजाकर/धक्का देकर खुलवाकर/खोलकर, बलवा करने के मकसद से एवं विधि विरूद्ध जमाव करने के इरादे से भी एक राय होकर पहुंचे एवं उनमें से एक अभियुक्त के पास धारदार हथियार भी था, जिससे वादी मुकदमा के भाई विशाल सागर के सिर पर साधारण चोटें आयीं, जिनका निशान डॉक्टर धीरज कुमार निम/पी०डब्लू० 7 द्वारा घटना के 25 वें दिन किए गए मेडिकल में पाया। इन समस्त अभियुक्तगण द्वारा मौके पर द्वितीय बार पहुंचकर पुनः गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी वादी मुकदमा और उसके घरवालों को देकर उन्हें अत्यधिक आतंकित किया गया और मारपीट की गयी।

49. यहां इस तथ्य का उल्लेख करना अत्यधिक समीचीन होगा कि विधि विरूद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अपराध का दोषी उस जमाव का प्रत्येक सक्रिय सदस्य होता है। अभियुक्तगण जब द्वितीय बार पांच से अधिक की संख्या में आए, तो वो सब इस इरादे से आए थे कि उन्हें वादी मुकदमा के स्वीमिंग पूल में घुसकर उन लोगों को मारपीट, गाली–गलौज एवं चोटें पहुंचाकर आतंकित करना है। परिसर के गेट को धकेलकर अंदर घुसते समय ही इस बलवा करने वाले विधि विरूद्ध जमाव के समस्त सदस्यों को, जिनमें से अधिकांश बालिग थे, इस तथ्य का पूरा–पूरा ज्ञान अनिवार्य रूप से रहा होगा कि वे एक अविधिक घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। इस झुण्ड के प्रत्येक सदस्य को इस तथ्य का भी भली–भांति ज्ञान था कि वे किस मकसद से जा रहे हैं। पी०डब्लू० 2 व 3 दोनों ने अपने मौखिक साक्ष्य में कहा है कि जब मुल्जिमान ज्यादा हो गए और जब जान से मारने की धमकी दी गयी तथा जब उन्होंने मुल्जिमान को हावी होते देखा, तो वे पीछे हट गए और बीच–बचाव नहीं कराया।

50. प्रथम सूचना रिपोर्ट 24 दिन के विलंब से लिखवाए जाने के तथ्य के प्रकाश में, उपरोक्त समस्त सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण से, यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण फैजु, फैजियाब, अफजाल, अल्लू उर्फ शुएब, हारिश एवं नफिज द्वारा अन्य कई लोगों के साथ मिलकर वादी पक्ष के स्वीमिंग पूल की चारदीवारी के अंदर घुसकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में अविधिक मजमा करके बल्वा करने, इस मजमे के अभियुक्त द्वारा धारदार हथियार से चुटहिल विशाल सागर के सिर जैसे नाजुक अंग पर प्रहार कर, उसे साधारण चोटें पहुंचाने, मारपीट करने तथा लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्द चमार कहकर अपमानित करने के आरोपों को, घटना के दिन, समय व स्थल पर, उपरोक्त घटना कारित करने के तथ्यों को अभियोजन द्वारा संदेह से

परे सिद्ध किया गया है।

51. तदनुसार अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज उन पर लगे हुए आरोप अंतर्गत धारा 147,148,452,323/149,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(2)(va), 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

(i) अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज** को धारा–**147,148,452,323/149,504,506** भारतीय दण्ड संहिता व **धारा 3(2)(Va), 3(1)द, 3(1)ध एस०सी०/एस०टी०एक्ट** के आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

(ii) अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त करते हुए, जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण उपरोक्त को तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

(iii) अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज को दोषसिद्ध की गयी धाराओं में दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली पर लंच बाद प्रस्तुत हो।

(iv) अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी दण्ड के प्रश्न पर सुनाने हेतु लंच बाद अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

दिनांक–19–03–2026

(छवि अस्थाना)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/,
अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।
J.O. Code UP6341

<u>दण्डादेश–</u>

(a) पत्रावली पुनः प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री पुनीत कुमार एवं अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दौलतराम को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

(b) विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क देते हुए यह कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, जिसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित करते हुए समाज में मिसाल प्रस्तुत की जाए। जबकि दोषसिद्ध अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज के विद्वान अधिवक्ता श्री दौलतराम का कहना है कि, अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही इससे पूर्व कभी उनकी कोई दोषसिद्ध हुई है। अभियुक्तगण आर्थिक रूप से कमजोर तथा मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं। उनका यह भी कथन है कि, यह अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अतएव उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

(c) अभियोजन द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज की पूर्व दोषसिद्धि का कोई भी उद्धरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त दोषसिद्ध अभियुक्तगण उपरोक्त ने वादी पक्ष के स्वीमिंग पूल में घुसकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में हथियारों से सुसज्जित होकर बल्वा कारित करते हुए गाली–गलौज व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा अपमानित करने के उद्देश्य से लोकदृष्टि में आने वाले स्थान पर जातिसूचक 'चमार' कहते हुए अभित्रस्त किया। यही नहीं उनके द्वारा एक बार जाकर बहुत से लोगों को साथ लेकर आकर एक समान उद्देश्य से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विरूद्ध जानते बूझते हुए उक्त समस्त अपराध सोच–समझकर कारित किये गये। अतएव प्रस्तुत वाद के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश व नफिज के साथ किसी भी प्रकार का दयापूर्ण आचरण विधिसम्मत, तथ्यसम्मत एवं न्यायसम्मत नहीं होगा। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अन्य व्यवसायियों की भांति ही भयमुक्त होकर अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होना चाहिए। विधि का यह कर्तव्य एवं उद्देश्य है कि, समाज में अपराध कम से कम हो। अपराध करने से पहले आम आदमी कई बार सोचे,

यह भावना और भय आम जानता में रहे। इस संबंध में **सुरजीत सिंह बनाम नाहर राम 2004 ACC (Crl.) 180** में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि, सजा के विनिश्चय के समय किन तथ्यों पर विचार करना चाहिए। अभियुक्तगण के विरूद्ध अनावश्यक सहानुभूति, कम सजा दिया जाना न्यायिक व्यवस्था को हानि पहुंचाता है और इससे आम जनता का विधि और समाज पर विश्वास कम होता है। प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और उसके अंतर्गत दिये गये कृत्य को देखते हुए समुचित सजा दें। समस्त परिस्थितियों एवं न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में निम्न दण्डादेश पारित किया जा रहा है।

आदेश

(i) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–147 के आरोप में 06–06 माह **(छः–छः माह) के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है।

(ii) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–148 के आरोप में 06–06 माह **(छः–छः माह) के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है।

(iii) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–452 के आरोप में **01–01 वर्ष (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास** तथा अंकन **500–500/– रूपये (पाँच–पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सिद्धदोष अभियुक्तगण उपरोक्त को पन्द्रह–पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(iv) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323 सपठित धारा 149 के आरोप में **01–01 वर्ष (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है।

(v) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 के आरोप में 06–06 माह **(छः–छः माह) के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है।

(vi) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के आरोप में 06–06 माह **(छः–छः माह) के साधारण कारावास** से दण्डित किया जाता है।

(vii) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)द के आरोप में **06–06 माह (छः–छः माह) के साधारण कारावास** तथा अंकन **500–500/–रूपये (पाँच–पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सिद्धदोष अभियुक्तगण उपरोक्त को पन्द्रह–पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(viii) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)ध के आरोप में **06–06 माह (छः–छः माह) के साधारण कारावास** तथा अंकन **500–500/–रूपये (पाँच–पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सिद्धदोष अभियुक्तगण उपरोक्त को पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(ix) प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्तगण **फैजु, फैजियाव, अफजाल, अल्लू उर्फ शुऐव, हारिश** व **नफिज** को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(2)(Va) के आरोप में **01–01 वर्ष (एक–एक वर्ष) के साधारण कारावास** तथा अंकन **500–500/– रूपये (पाँच–पाँच सौ रूपये) के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में सिद्धदोष अभियुक्तगण उपरोक्त को पन्द्रह–पन्द्रह दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(x) अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

(xi) उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

(xii) विशेष लोक अभियोजक सूचित हों। इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को नि:शुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक–19–03–2026

(छवि अस्थाना)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/,
अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–19–03–2026

(छवि अस्थाना)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/,
अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर।
J.O. Code UP6341